Azadi Ka Amrit Mahotsav

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक | India Post Payments Bank

उत्कृष्टता के साथ विकास

वित्तीय सेवाओं के समावेशन के लिए प्रतिबद्ध

वार्षिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2021-22

डिजिटल रूपांतरण को सशक्त बनाते हुए, जीवन में बेहतरी लाने के लिए बदलाव

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने प्रत्येक नागरिक की वित्तीय सशक्तिकरण की यात्रा आरंभ करते हुए ऐसा मार्ग चुना जिस पर अब तक कम ही यात्रा की गई थी। आजादी के समय से ही, औपचारिक बैंकिंग सेक्टर ग्रामीण आबादी को अपने दायरे के भीतर ला पाने में सक्षम नहीं रहा है। इन कम बैंकिंग सुविधा वाले और बिना बैंकिंग सुविधा वाले नागरिकों के लिए अवसर लागत लगातार ऊंची बनी हुई है। ''आईपीपीबी बैंकों को ग्रामीणों और निर्धनों के द्वार तक लाने के जरिये आर्थिक रूपांतरण की शुरुआत करेगा'' इन्हीं शब्दों के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने 1 सितंबर, 2018 को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लांच की घोषणा की थी। भरोसेमंद और विनम्र डाकिया अब उन लाखों कम बैंकिंग सुविधा वाले और बिना बैंकिंग सुविधा वाले लोगों के लिए एक बैंकर भी बन गया था जिनकी अब तक वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच नहीं थी।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खुद को एक डिजिटलाइज्ड संगठन में रूपांतरित करने तथा अपने प्रौद्योगिकी सक्षम परिचालनों के साथ अंतिम मील तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। देश भर में डिजिटल उन्नति तथा उपस्थिति के साथ, हमारा इरादा प्रगतिशील भारत का एक हिस्सा बनने का है जहां प्रत्येक व्यक्ति औपचारिक बैंकिंग के दायरे में आता है। इसे अर्जित करने के लिए, हम देश के कम बैंकिंग सुविधा वाले और बिना बैंकिंग सुविधा वाले नागरिकों तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, साथ ही अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से मेट्रो तथा शहरी भारत की जरुरतों को भी पूरा कर रहे हैं।

सरल क्यूआर कोड के माध्यम से डाकघर काउंटरों को डिजिटाइज करने से लेकर विभिन्न डाकघर बचत योजनाओं में प्रत्यक्ष भुगतान को सक्षम करने और एक मजबूत अंतःपारस्परिक द्वार तक बैंकिंग परितंत्र की स्थापना करने तक, दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क और भारत के सबसे सुलभ और किफायती बैंकों में से एक के बीच साझीदारी और गठबंधन नए मानदंडों और ऐतिहासिक उपलब्धियों का निर्माण कर रहा है।

वित्तीय वर्ष २०२१-२२ के दौरान, बैंक ने ग्राहकों के द्वार पर बैंकिंग सेवाओं को प्रस्तुत करने वाले 'डाकिया' के भरोसे और पहुंच के साथ लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। इसी के साथ साथ, पूरी बैंकिंग सेवाओं को एक क्लिक पर लाना, एक साथ मिल कर ' उत्कृष्टता के साथ विकास ' की यात्रा को परिभाषित करता है। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों के साथ हमारे संबंध सर्वोच्च हैं, जैसा कि हम कहते हैं,

जोड़िये नाता, खोलिए रिश्तों का खाता

बदलाव और रूपांतरण की इस यात्रा में, आईपीपीबी उत्पादों के तथा सर्वोत्तम बैंकिंग प्रचलनों की तर्ज पर डाक विभाग की प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण में मदद करने में अपने तकनीकी कौशल का योगदान दे रहा है। इसी प्रकार, डाक विभाग विभिन्न सरकार -से -नागरिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक समेकित वन -स्टॉप प्लेटफॉर्म का निर्माण करने में अपने विशाल और अद्वितीय वितरण नेटवर्क की सहायता कर रहा है जिसमें हमारे मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए समग्र बैंकिंग अनुभव को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता है।

जैसीकि हमने परिचालन के छठे वर्ष में अपनी यात्रा जारी रखी है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित ग्राहकों की सभी बैंकिंग जरुरतों को पूरी करें। हमारा लक्ष्य बैंक को उनके द्वार तक लाकर देश के सभी नागरिकों के लिए सबसे भरोसेमंद बैंकर बनना है। अपने सिद्धांत **'आपका बैंक, आपके द्वार'** को और आगे बढ़ाने के लिए, हम आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) के माध्यम से 'हर बैंक, आपके द्वार' ला रहे हैं।

संख्याएं जो बैंक को परिभाषित करती हैं

650
जिले

37
राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश

136,000+
बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट

650
शाखाएं

5.26 Cr
ग्राहक

129,000+
से अधिक डाकिये एवं जीडीएस

₹ 461 Cr
कुल आय

₹ 3,691 Cr
कुल जमाएं

40.83%
पूंजी पर्याप्तता अनुपात

₹ 330 Cr
कारोबारी राजस्व

पांचवीं वार्षिक रिपोर्ट

विषय सूची

कंटेंट | पृष्ठ संख्या

- अध्यक्ष का संदेश 05
- एमडी एवं सीईओ संदेश 07
- निदेशक मंडल 09
- आईपीपीबी एक नजर में 10
  - इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में
  - विजन एवं मिशन
  - ग्राहक खंड
  - विविध उत्पाद समूह
  - लोकसंपर्क
- कारोबारी उपलब्धियां 15
- जीवनों को छूते हुए बदलाव लाना 16
- मील के पत्थर एवं उपलब्धियां 17
- कार्यात्मक उपलब्धियां 18
  - ब्रांड निर्माण एवं उत्पाद विपणन
  - उत्पाद एवं गठबंधन
  - ग्राहक सेवा
  - मानव संसाधन
  - सूचना एवं साइबर सुरक्षा
  - जोखिम शासन एवं संरचना
  - सतर्कता प्रशासन
- खबरों में 29
- पुरस्कार एवं सम्मान 30
- निदेशक की रिपोर्ट 31
- स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट 40
- 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित वर्ष के लिए वार्षिक लेखे 49
- सीएजी लेखा परीक्षक रिपोर्ट 81
- साचिविक लेखा परीक्षक रिपोर्ट 83

अध्यक्ष का संदेश

"अपने प्रचालनों की शुरुआत के केवल 3 वर्षों में पांच करोड़ ग्राहकों तक पहुंचना देश में सबसे तेज गति से बढ़ते एक किफ़ायती, सरल, और सुरक्षित डिजिटल परितंत्र प्रदान करने के आईपीपीबी मॉडल की सफ़लता का एक शानदार प्रमाण है।"

प्रिय शेयरधारकों,

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आपके बैंक के प्रदर्शन तथा प्रमुख पहलों की वार्षिक रिपोर्ट को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 एक उल्लेखनीय वर्ष है क्योंकि आईपीपीबी ने भारत की डाक संरचना का लाभ उठाना जारी रखा है और डिजिटल स्पेक्ट्रम के तहत भारत के बिना बैंक की सुविधा वाले तथा कम बैंकिंग सुविधा वाले वर्गों सहित वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए एकजुट होकर काम कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 का कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से जूझना जारी रहा। छोटे व्यवसायों तथा अपेक्षाकृत सीमित वित्तीय संसाधनों वाले लोग महामारी की चपेट में आए, इस बेहद कठिन समय ने आपके बैंक के परिचालन मॉडल की प्रासंगिकता भी दुहराई जिसने उत्कृष्ता के साथ इसका ग्रोथ सुनिश्चित किया, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के अंतराल को पाटते हुए भारत के शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में सबसे बड़े वित्तीय समावेशन नेटवर्कों में से एक बन गया। चार वर्षों से भी कम समय में पांच करोड़ ग्राहकों तक पहुंचना, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में किफायती, सरल, आसान और सुरक्षित डिजिटल परितंत्र प्रदान करने के इस मॉडल की सफलता का एक शानदार प्रमाण है। हम प्रसन्न हैं कि हम ग्रामीण महिलाओं को भी उनके दरवाजों तक बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सशक्त बना सके।

प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण और जारी निवेशों के जरिये तथा नई क्षमताओं की शुरुआत के साथ, हम ग्राहकों की बदलती जरुरतों को पूरा करने की अपनी क्षमता को सुदृढ़ बना रहे हैं। भविष्य पर स्पष्टरूप से ध्यान केंद्रित करते हुए, आपके बैंक ने इस वर्ष विभिन्न वित्तीय सेवाएं आरंभ की हैं जिनमें सामान्य बीमा एवं गृह, वाहन ऋण उत्पादों के साथ साथ शिशु नामांकन, मोबाइल नंबर अपडेशन तथा अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ करार जैसी विविध मूल्य वर्धित सेवाएं, हमारे प्रौद्योगिकी सक्षम डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे ग्रामीण डाक सेवकों तथा डाक कर्मचारियों के सर्वव्यापी नेटवर्क को ईष्टतम करना शामिल है।

आपके बैंक की प्रगति

आपके बैंक ने परिचालन स्थितियों में सुधार आने के साथ सभी मानकों पर स्वस्थ क्रमिक प्रगति रिपोर्ट की है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि, इस कठिन समय में भी, और अक्सर भावनात्मक रूप से थका देने वाले उदाहरणों के बावजूद, बैंक के कर्मचारी कभी भी अपने ग्राहकों की सहायता करने पर अपना ध्यान केंद्रित करने से पीछे नहीं हटे। आपका बैंक नए ग्राहक बनाने में 22 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज कराने में सक्षम रहा, डिजिटल लेनदेन का मूल्य और मात्रा 83 करोड़ से अधिक लेनदेनों के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई जो क्रमशः 163 प्रतिशत और 427 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि प्रदर्शित करती है। आपका

बैंक 31 मार्च, 2022 तक 3,691 करोड़ रुपये का एक बहुत स्वस्थ कासा बैलेंस उत्पन्न करने में सक्षम रहा है।

आपके बैंक का फोकस आज 1.4 बिलियन भारतीयों की आकांक्षा के व्यापक क्षेत्र को कवर करने के लिए द्वार पर एवं स्वं सेवा विकल्प दोनों के साथ प्रत्येक भारतीय को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की मुख्यधारा के दायरे में लाने पर निरंतर बना हुआ है।

मुझे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि बैंक डाक विभाग की बैंकिंग तथा बीमा कार्यों के लिए प्रौद्योगिकी को प्रबंधित करने के लिए बैंक की क्षमताओं का लाभ उठाते हुए अपनी भूमिका को और आगे बढ़ाएगा।

निष्कर्ष

जैसे हम प्रगतिशील परिवर्तन के एक और वर्ष पूरा करने के निकट जा रहे हैं, मैं अपने एमडी एवं सीईओ तथा वरिष्ठ कार्यकारी टीम को पूरे 2021 के दौरान उनके असाधारण नेतृत्व के लिए धन्यवाद देता हूं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने सहयोगियों के दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत को स्वीकार करते हैं जो प्रत्येक दिन समर्पण के साथ असाधारण सेवाएं प्रदान करते हैं और हम अपने ग्राहकों को उनकी सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देते हैं।

जैसा कि हम इस रोमांचक यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आईपीपीबी डाक विभाग की अपनी मूल ताकत का लाभ उठाने में सक्षम रहा है और हमारे देश के परिदृश्य में वित्तीय समावेशन के भविष्य को लगातार आकार दे रहा है और देश भर में वित्तीय समावेशन परिदृश्य को बदल रहा है।

आपको बहुत बहुत धन्यवाद!

विनीत पांडेय
सचिव, डाक विभाग एवं अध्यक्ष, आईपीपीबी

एमडी एवं सीईओ का संदेश

"बैंकिंग को ग्राहकों के द्वार तक लाने के द्वारा, आईपीपीबी देश भर में वित्तीय समावेशन परिदृश्य को धीरे धीरे रूपांतरित कर रहा है तथा नया आकार दे रहा है। हमारा प्रयास उधारकर्ता साझीदारों के सहयोग से डिजिटल प्रौद्योगिकीयों तथा वैकल्पिक डाटा स्रोतों का लाभ उठाने के जरिये ग्राहकों के द्वार पर ऋण सहित विभिन्न प्रकार की नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं की पेशकश करने के लिए एक समेकित प्लेट फॉर्म का निर्माण करना है।"

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके समक्ष वित्त वर्ष 2021-22 की इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है। महामारी की चुनौतियों से उबरते हुए, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक ने हमारे सभी प्रयत्नों में जबरदस्त वृद्धि हासिल की है।

इस दृढ़ विश्वास के साथ कि भारत तब चमकेगा और समृद्ध होगा जब प्रत्येक नागरिक के पास वित्तीय रूप से सुरक्षित और सशक्त बनने का एक समान अवसर होगा, आईपीपीबी ने अपने मजबूत नेटवर्क तथा उत्पादों एवं सेवाओं के एक व्यापक श्रृंखला के साथ अपनी शुरुआत के बाद से अंतिम तीन वर्षों में राष्ट्र के भुगतान बैंकिंग परिदृश्य में एक रूपांतरकारी भूमिका निभाई है।

2022 के नए वर्ष के आगमन के साथ, आपके बैंक ने पांच करोड़ ग्राहकों तक पहुंचने की महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि 1,36,000 डाक घरों से अधिक की संख्या के माध्यम से डिजिटल तथा कागजरहित मोड का उपयोग करने के जरिये हमारे समर्पित प्रयासों का परिणाम थी। कुल खाताधारकों में से, लगभग 48 प्रतिशत महिला खाताधारक हैं, जो महिला ग्राहकों को बैंकिंग नेटवर्क में लाने के बैंक के फोकस को दुहराते हैं।

आईपीपीबी का लक्ष्य भारत में प्रत्येक घर को दक्ष बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना और उन्हें वित्तीय रूप से सुरक्षित और सशक्त बनाना है। हमने कम बैंकिंग सुविधा तथा बैंकिंग सुविधा रहित लोगों के लिए बाधाओं को दूर करने के सरकार के लक्ष्य में तेजी लाना जारी रखा है। आपका बैंक लोगों को उनके द्वार पर पूर्ण रूप से डिजिटल तथा कागजरहित बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर अपने ग्राहकों की संख्या में वृद्धि लाने में समर्थ है।

इस वर्ष डिजिटल मिशन को आगे बढ़ाते हुए, हमने कई नए उत्पाद लांच किए तथा कई पहलें शुरु कीं। साधारण बीमा उत्पादों से शुरु करके हमने एचडीएफसी, एलआईसीएचएफ, एक्सिस बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे अग्रणी बैंकों के साथ करार कर डिजिटल बैंकिंग को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए विविध प्रकार के गृह ऋण तथा अन्य उत्पादों को पेश किया। विशेष रूप से मोबाइल अपडेशन तथा आधार में बाल नामांकन जैसी मूल्यवर्द्धित सेवाओं की सुविधा प्रदान करने से अर्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को लाभ पहुंचा है। इस तथ्य पर बल देते हुए हम अपने आदर्श वाक्य के प्रति सच्चे बने हुए हैं कि प्रत्येक ग्राहक महत्वपूर्ण है, प्रत्येक लेनदेन उल्लेखनीय है और प्रत्येक जमा हमारे लिए मूल्यवान है, हम ग्राहकों के द्वार पर ऋण सहित विभिन्न प्रकार की नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं की पेशकश करते हुए एक समेकित सेवा प्लेटफॉर्म का निर्माण करने के लिए निरंतर तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।

स्वीकृति

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, मैं हमारे मूल्यवान शेयरधारक के रूप में आपके निरंतर समर्थन और विश्वास के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यह हमें हमारे सभी कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और आपके तथा राष्ट्र के लिए भी मूल्य का सृजन करता है। मैं भारत सरकार के संचार मंत्रालय और डाक विभाग से प्राप्त निरंतर समर्थन और बहुमूल्य मार्गदर्शन की सराहना करता हूं।

नमस्कार!

जे. वेंकटरामू
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
आईपीपीबी

निदेशक मंडल

श्री विनीत पांडेय
अध्यक्ष, आईपीपीबी

श्री जे वेंकटरामू
एमडी एवं सीईओ, आईपीपीबी

श्रीमती अनिंदिता सिन्हारे
नामित निदेशक

श्री संजय प्रसाद
नामित निदेशक

श्री पवन कुमार सिंह
नामित निदेशक

कंपनी सचिव	:	श्रीमती प्रियंका भटनागर
सांविधिक लेखापरीक्षक	:	मेहरा गोयल एंड कंपनी
साचिविक लेखापरीक्षक	:	वीएपी एंड एसोसिएट्स
मुख्य वित्तीय अधिकारी	:	श्री अनूप ई एस
पंजीकृत कार्यालय	:	स्पीड पोस्ट सेंटर, भाई वीर सिंह मार्ग, मार्केट रोड, नई दिल्ली -110001

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के बारे में

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना देश के सामान्य नागरिक के लिए सबसे सुलभ, वहनीय और भरोसेमंद बैंक का निर्माण करने के उद्देश्य से की गई है। इसका मूल अधिदेश बैंक रहित एवं कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों के लिए बाधाओं को दूर करना तथा 1.55 लाख डाक घरों तथा लगभग 3 लाख डाक कर्मचारियों के नेटवर्क की व्यापक पहुंच का उपयोग कर अंतिम छोर तक पहुंचना है।

आईपीपीबी का लक्षित बाजार खंड समाज के वित्तीय रूप से सर्वाधिक बहिष्कृत तथा निर्बल वर्ग रहा है, इसलिए बैंक ने मितव्ययी नवोन्मेषण तथा सरल एवं सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस के माध्यम से अंतिम मील तक सहायता प्राप्त बैंकिंग में सक्षम बनाया है। चाहे यह बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से खाता खोलने की पेशकश करने तथा लेनदेन पहल में सक्षम बनाना हो, या पिन/पासवर्ड को याद रखने की आवश्यकता को दूर करना हो या कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म से रियल टाइम ऑनलाइन द्वारा कनेक्टेड स्मार्टफोन और एक बायोमीट्रिक डिवाइस से लैस डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के माध्यम से ग्राहकों के द्वार तक बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करनी हो, आईपीपीबी ने भारत में बैंकिंग तथा वित्तीय समावेशन परिदृश्य को रूपांतरित कर दिया है।

आईपीपीबी देश के हर जिले, कस्बे और गांव में लगभग 1.55 लाख डाकघरों तथा 3.0 लाख डाक कर्मचारियों के विशाल नेटवर्क का उपयोग ग्रामीण बैंकिंग अवसंरचना के आकार को लगभग 2.5 गुना बढ़ाने के लिए कर रहा है। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं वास्तविक अवसंरचना का यह संयोजन ग्रामीण भारत के लिए एक फिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण करते हुए आज की उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था में पहचान रखने वाला एक मजबूत बल है।

आईपीपीबी-डाक विभाग संयोजन ने इस बुनियादी ढांचे का उपयोग एक भरोसमंद ब्रांड और प्रौद्योगिकी आधारित नवोन्मेषण के साथ बैंकिंग परितंत्र में फिनटेक, सरकार और संस्थानों के सहयोग से एक ही छत के नीचे एक मजबूत सेवा बुनियादी -ढांचे की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए किया है।

आईपीपीबी की पहुंच और इसका परिचालन मॉडल इंडिया स्टैक के प्रमुख स्तंभों -एक सीबीएस -समेकित स्मार्टफोन तथा बायोमीट्रिक डिवाइस के माध्यम से ग्राहकों के द्वार पर एक सरल और सुरक्षित तरीके से कागजरहित, नकदीरहित तथा उपस्थिति रहित बैंकिंग पर निर्मित्त है। मितव्ययी नवोन्मेषण का लाभ उठाते हुए तथा आम लोगों के लिए बैंकिंग की सरलता पर उच्च फोकस के साथ, आईपीपीबी १३ भाषाओं में उपलब्ध सहज ज्ञान युक्त इंटरफेस के माध्यम से सरल और किफायती बैंकिंग समाधान प्रस्तुत करता है।

आईपीपीबी कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा डिजिटल इंडिया के विजन में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत तभी समृद्ध बनेगा जब प्रत्येक नागरिक को वित्तीय रूप से सुरक्षित तथा सशक्त बनने का समान अवसर मिलेगा। हमारा आदर्श वाक्य -प्रत्येक ग्राहक महत्वपूर्ण है, प्रत्येक लेनदेन उल्लेखनीय है और प्रत्येक जमा मूल्यवान है -के प्रति सच्चा है।

विजन

आम लोगों के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक, किफायती और भरोसेमंद बैंक का निर्माण करना

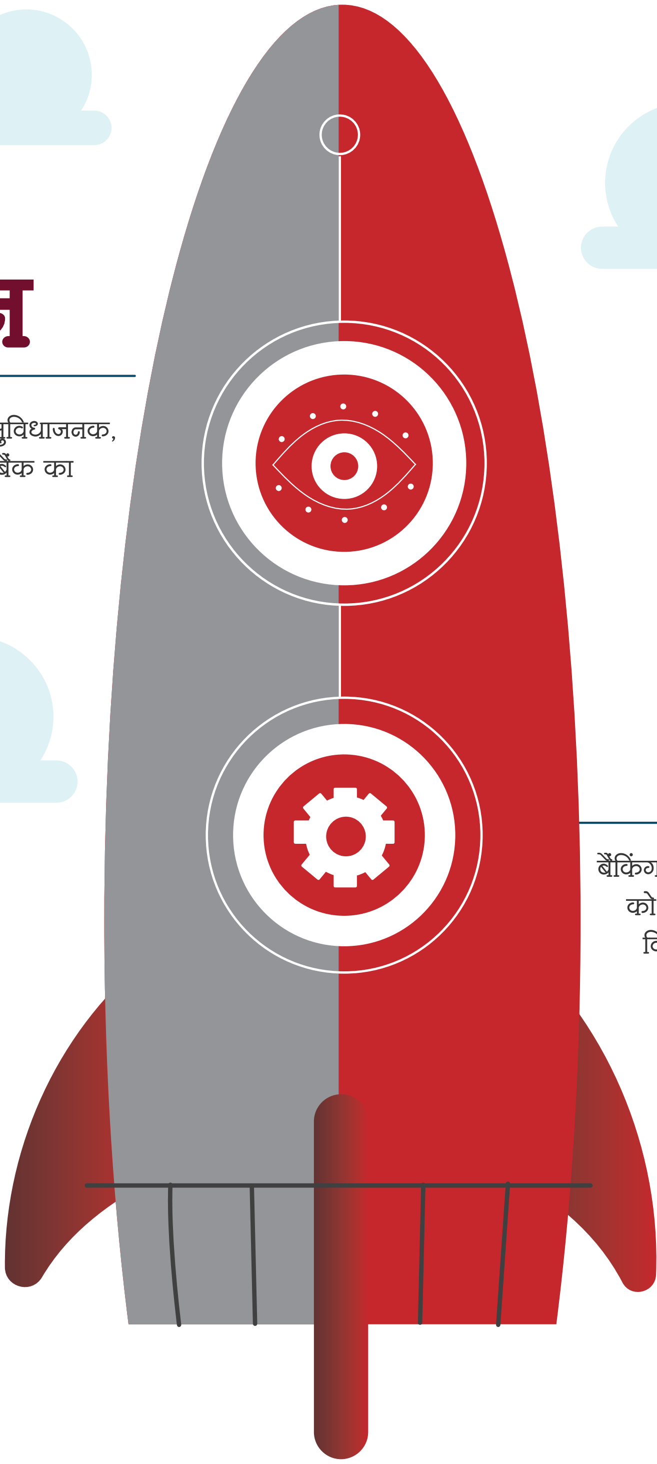

मिशन

बैंकिंग सेवाओं की सुविधा प्राप्ति हेतु बाधाओं को दूर करके एवं लागत को घटा कर वित्तीय समावेशन का नेतृत्व करना

ग्राहक खंड

आईपीपीबी अपने ग्राहकों की वित्तीय और बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम जो कुछ भी करते हैं, उसके केंद्र में ग्राहकों को रखते हुए, हमारे उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला का उद्देश्य उनके लिए मूल्य तथा आनंदमय अनुभव का सृजन करना है। हमारे उपयोग में आसान, कुशल, सुरक्षित और सरल समाधान भारत और शहरी भारत की उभरती जरूरतों से प्रेरित हैं। उभरते कारोबारी माहौल और इकोसिस्टम के प्रत्युत्तर में, आईपीपीबी हमेशा वक्र से आगे रहने और अपने ग्राहकों की महत्वाकांक्षाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करता है।

हमारे ग्राहक देश के कोने कोने और जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित होते हैं। उनमें से एक बड़ा अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों का होता है जिनमें से कई संभवतः कभी बैंक नहीं गए हैं या उनके पास बचत खाता भी नहीं होता। 150 साल से अधिक देश की सेवा करने की भारतीय डाक की विरासत के साथ साथ भरोसेमंद स्थानीय डाकिया के अंतिम मील के संपर्क के साथ यह अब बहुत संभव है। चाहे वे किसान हों, वरिष्ठ नागरिक हों, दिव्यांग व्यक्ति हों, किराना स्टोर के मालिक हों, छात्र हों, गृहिणियां हों, आईपीपीबी न केवल बैंकिंग सेवाओं को उनके द्वार पर लाकर उनके जीवन में बदलाव लाने में सक्षम है, बल्कि एक ऐसा इको सिस्टम भी बना रहा है जो समावेशी विकास को बढ़ावा देता है और उसका समर्थन करता है।

विविध उत्पाद समूह

आईपीपीबी बदलते समय के अनुरुप, बैंक ने अपने ग्राहकों की उभरती वित्तीय और बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध उत्पादों एवं सेवाओं का एक रेंज लांच किया। जहां हम नवोन्मेषी समाधानों के हमारे बढ़ते गुलदस्ते के साथ हमारा निरंतर प्रयास एक समग्र एवं पूर्ण 360 डिग्री बैंकिंग अनुभव उपलब्ध कराना रहा है जो नई परिस्थितियों के लिए समसामयिक और निर्बाधित हो। आईपीपीबी का उत्पाद पोर्टफोलियो व्यापक है और इसमें बचत तथा चालू खाता, धन हस्तांतरण, बिल और यूटिलिटी भुगतान, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, वर्चुअल डेबिट कार्ड, सरकार से नागरिक सेवाएं आदि शामिल हैं।

डाकघर ग्राहक

- आईपीपीबी खातों के साथ लिंकेज के माध्यम से डाकघर बचत खाता के लिए अंतःपारस्परिकता
- एसएसए एवं पीपीएफ, आरडी एवं एलएआरडी जैसी डाकघर योजनाओं को डिजिटल भुगतान
- डाक जीवन बीमा प्रीमियम को डिजिटल भुगतान
- डाकघर काउंटरों पर डिजिटल भुगतान

आईपीपीबी के ग्राहक/ मर्चेंट

- बचत/चालू खाता
- फंड हस्तांतरण
- वर्चुअल डेबिट कार्ड
- प्रीपेड रिचार्ज एवं भारत बिल भुगतान सेवा
- मर्चेंट्स के लिए आधार भुगतान सेवाएं
- जीवन बीमा - टर्म, इनडाउमेंट एवं एन्यूटी
- साधारण बीमा - मोटर, ग्रुप एक्सीडेंट तथा हेल्थ
- म्युचुअल फंड
- वित्तीय संस्थान एन बी एफ सी

जी2सी सेवाएं

- डीबीटी -सामाजिक कल्याण नामांकन एवं वितरण
- पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र
- आधार मोबाइल नंबर अपडेट सेवा
- शिशु आधार नामांकन
- बीमा - पीएमजेजेबीवाई

किसी भी बैंक का ग्राहक

- किसी भी खाते से नकदी निकासी - एईपीएस
- किसी भी खाते में नकदी जमा - डीएमटी
- बिल, बीमा प्रीमियम, लोन, ईएमआई आदि की दिशा में नकदी द्वारा भुगतान
- किसी भी बैंक खाते से लेनदेन करने के लिए ग्राहकों/ मर्चेंट्स डाकपे यूपीआई ऐप
- वित्तीय संस्थान एन बी एफ सी

लोक संपर्क

समस्त देश भर को कवर करने वाली भौगोलिक उपस्थिति के साथ, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक वर्तमान में 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 4 करोड़ से अधिक ग्राहकों की बैंकिंग और वित्तीय जरुरतों को पूरा करता है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रसार के साथ, भारत की वित्तीय सेवाओं का परिदृश्य उस गति तथा परिमाण से गुजर रहा है जो पहले नहीं देखा गया है। 650 शाखाओं तथा 136,000 से अधिक बैंकिंग पहुंच बिन्दुओं के एक अद्वितीय तथा मजबूत नेटवर्क को मिला कर, आईपीपीबी अपनी विशाल भौतिक उपस्थिति तथा डिजिटल क्षमताओं तथा बैंकिंग को अंतिम मील तक पहुंचाने के लिए अभिनव तरीकों का उपयोग करने के जरिये इस रूपांतरण में सबसे आगे रहना चाहता है।

650
आईपीपीबी शाखाएं

136053
से अधिक बैंकिंग पहुंच बिन्दु

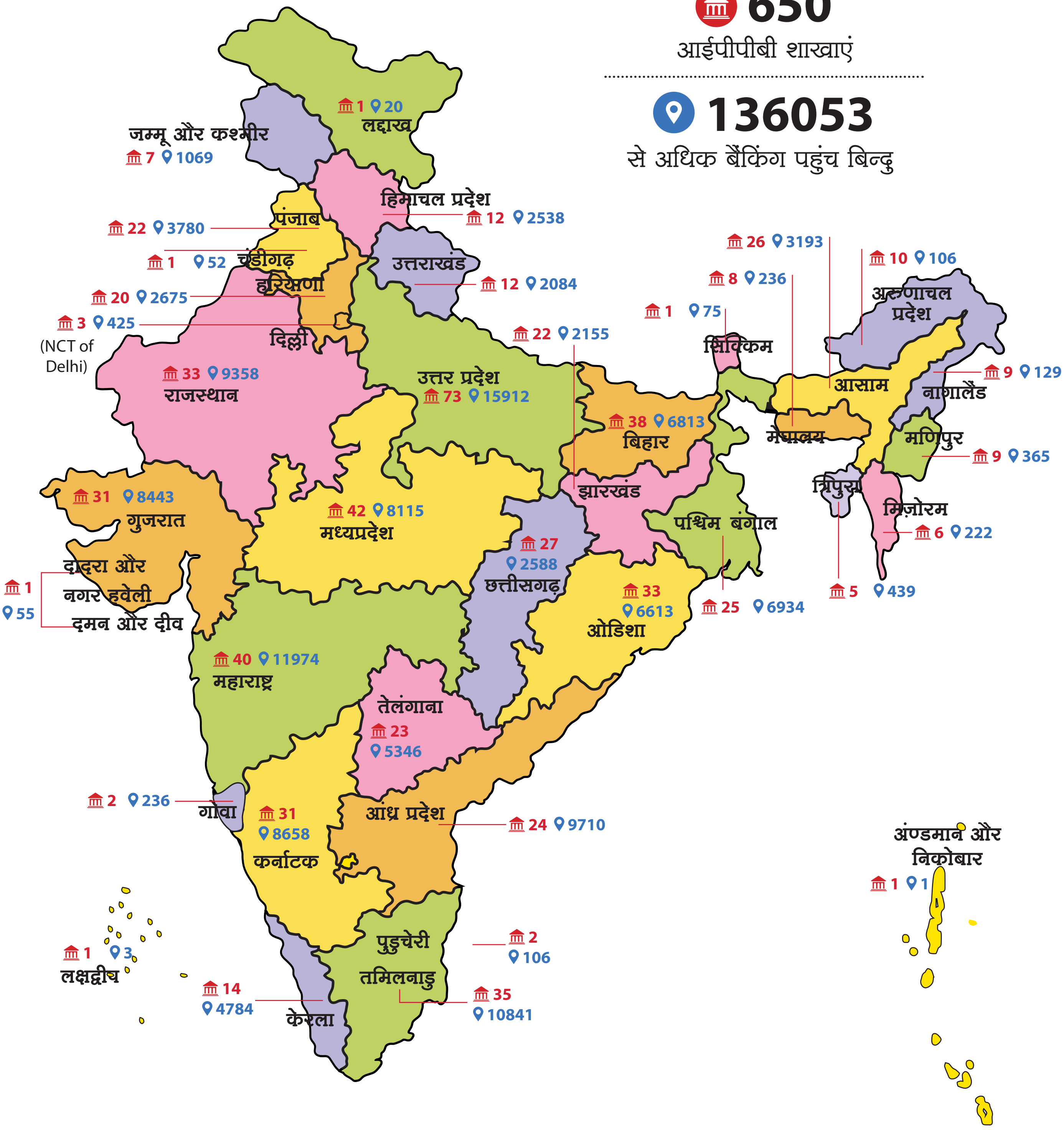

व्यवसाय उपलब्धियां

	मार्च, 31, 2021	मार्च, 31, 2022	वर्ष-दर-वर्ष तक (वृद्धि प्रतिशत में)
ग्राहकों की कुल संख्या	4.31 करोड़	5.26 करोड़	22.04
कुल जमाएं	2,300 करोड़	3,691 करोड़	60.48
डिजिटल वित्तीय लेनदेनों का मूल्य	58, 709 करोड़	1,54,367 करोड़	162.94
डिजिटल वित्तीय लेनदेनों की संख्या	15.91 करोड़	83.84 करोड़	426.96
एईपीएस लेनदेनों का मूल्य	11,733 करोड़	20,939 करोड़	78.46
कुल डीबीटी लाभार्थी	72.68 लाख	1.06 करोड़	45.21
डाक विभाग बचत स्कीमों (पीपीएफ/एसएसवाई/आरडी/एलए आरडी) को डिजिटल भुगतानों पर लेनदेनों का मूल्य	2,361 करोड़	5,416 करोड़	129.39
मोबाइल ऐप डाउनलोड की संख्या	86 लाख	1.34 करोड़	55.81
पीओएसए सक्षमकारी अंतःपारस्परिक बैंकिंग से जुड़े आईपीपीबी	21.85 लाख	28.68 लाख	31.26

जीवन को छूते हुए अंतर लाना

महिला खाताधारक लगभग 50 प्रतिशत हैं

98 प्रतिशत खाते माइक्रो- एटीएम का उपयोग करते हुए ग्राहकों के द्वार पर खोले गए

महिलाओं द्वारा खोले गए 55.40 प्रतिशत से अधिक खातों में डीबीटी प्राप्त होते हैं

90 प्रतिशत ग्राहक ग्रामीण क्षेत्रों के हैं

99 प्रतिशत खाते आधार सक्षम हैं

46.47 लाख रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं

8.47 लाख डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं

1.75 लाख पीएमजेजेबीवाई पॉलिसियां बेची जा चुकी हैं

मील के पत्थर एवं उपलब्धियां

मार्च 2022

- 45 लाख से अधिक वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी किए गए
- निश्चय पोषण स्कीम के लाभार्थियों का खाता खोलने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एमओयू

फरवरी 2022

- एईपीएस लेनदेन का मूल्य 20,000 करोड़ से अधिक

जनवरी 2022

- पांच करोड़ ग्राहकों की ऐतिहासिक संख्या पार
- डिजिटल फाइनेंशियल लेनदेन 1.5 लाख करोड़ से अधिक हुई

दिसंबर 2021

- डीबीटी 5000 करोड़ के पार हुआ

नवबंर 2021

- दुपहिया ऋण, गोल्ड लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, गृह ऋण की पेशकश के लिए कई बैंकों के साथ गठबंधन
- इंडीविजुअल बिजनेस कॉरेसपॉडेंट (आईबीसी) बिजनेस चैनल का लांच

अक्टूबर 2021

- कासा जमाएं 3,000 करोड़ रुपये के पार

सितंबर 2021

- बिल भुगतान लेनदेन 600 करोड़ से अधिक हुई

अगस्त 2021

- 1 करोड़ मोबाइल ऐप डाऊनलोड की उपलब्धि अर्जित की गई
- नकदी प्रबंधन सेवाओं की पेशकश के लिए करार

जुलाइ 2021

- नकदी आधारित भुगतानां के लिए आईपीपीबी ग्राहकों एवं गैर ग्राहकों के लिए कैश टू बिल पेमेंट फैसिलिटी का लांच

जून 2021

- मोबाइल अपडेशन एवं आधार में शिशु नामांकन का लांच
- साधारण बीमा उत्पादों का लांच
- एमएसएमई (सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम) को व्यवसाय ऋण पेश करने के लिए करार

मई 2021

- किफायती गृह ऋण तथा संपत्ति के विरुद्ध ऋण की पेशकश के लिए करार

अप्रैल 2021

- घरेलू प्रेषण 4 करोड़ लेनदेन (22,5000 करोड़ रुपये) से अधिक हुआ
- वाम चरमपंथ (एलडब्ल्यूई) जिलों में खोले गए खातों की संख्या 55 लाख से अधिक हुई
- एलडब्ल्यूई जिलों में डीबीटी 600 करोड़ के पार

कार्यात्मक प्रमुख उपलब्धियां

ब्रांड निर्माण एवं उत्पाद विपणन

आईपीपीबी वर्षगांठ समारोह -आईपीपीबी राष्ट्रीय लांच की तीसरी वर्षगांठ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के सभी कार्यालयों में जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यालयों को डैंगलर्स और स्टैंडीज आदि के साथ सजाया गया।

मार्केटिंग कोलैटेरल्स के लिए अपडेशन

क्यूआर कार्ड के वर्तमान डिजाइन को और अधिक आकर्षक तथा सूचनात्मक बनाने के लिए क्यूआर कार्ड के नए डिजाइन को अक्टूबर २०२१ में लांच किया गया।

कस्टमर फ्लायर, सभी उत्पादों एवं सेवाओं के साथ एक क्रिएटिव को फील्ड टीम के साथ जारी किया गया। फ्लायर का उपयोग हमारी प्रस्तुतियों को वर्तमान एवं संभावित ग्राहकों के लिए विपणन करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग काउंटर पर जाने वाले डाकघर एसबी ग्राहकों के बीच आईपीपीबी प्रस्तुतियों को प्रचारित करने के लिए किया जा सकता है।

फिन-टेक यात्रा में भागीदारी -आईपीपीबी ने फिनटेक यात्रा 2021 में भागीदारी की है जिसने लगभग 15 शहरों को कवर किया है तथा देश भर में कई स्टार्ट-अप्स से मुलाकात की है। फिनटेक-यात्रा ने आईपीपीबी को अभी तक 6-8 स्टार्ट-अप्स से कनेक्ट करने में सक्षम बनाया है। ये स्टार्ट-अप्स नवोन्मेषी मॉडलों तक अवधारणाओं पर काम कर रहे हैं जो लाभदायक व्यवसायों में रूपांतरित हो जाएंगे। इस यात्रा ने डिजिटल बैंकिंग द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन के मॉडल को चित्रित करने तथा अंतिम मील तक पहुंचने के लिए हमारे यशवंतपुर एसओ, कर्नाटक सर्किल को प्रदर्शित किया है।

मार्केटिंग इनवेंटरी एवं वितरण एक्सेस सिस्टम (मिडास) का लांच : विपणन विभाग ने प्रक्षेत्र स्तर पर सरल पहुंच उपलब्ध कराने के लिए सभी मार्केटिंग प्रिंट कोलैटेरल/ क्रिएटिव्स के लिए एक ऑनलाइन इनवेंटरी तथा शेयरिंग टूल लांच किया है। यह मार्केटिंग क्रिएटिव्स को अधिक सरलता के साथ प्रिंटिंग तथा संगत प्रक्षेत्र उपयोग के साथ व्यवस्थित, संग्रहित तथा साझा करने में सहायता करेगा।

इस प्रणाली के लागू होने से सर्किल/शाखाओं के पास चलते फिरते सभी मार्केटिंग कोलैटेरल तक पहुंच आसान हो जाएगी। इस लिंक ने बैनर, पोस्टर, फ्लायर जैसे क्रिएटिव्स तथा फील्ड टीमों द्वारा जेपीजी/ पीडीएफ तथा ओपेन फाइल फॉर्मेट (एआई/ सीडीआर) जैसा लागू हो, उनकी मार्केटिंग गतिविधियों जैसे वित्तीय साक्षरता शिविरों और अन्य दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई हैं।

पांच करोड़ ग्राहकों की संख्या तक पहुंचने का समारोह -आईपीपीबी ने जनवरी २०२२ में पांच करोड़ ग्राहकों की संख्या तक पहुंचने की शानदार उपलब्धि हासिल की जिसका समारोह देश भर में आईपीपीबी के सभी कार्यालयों में मनाया गया। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए डैंगलर्स/ पोस्टर/ बैलून रखे/ सजाये गए। इसे हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी हमारे ग्राहकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रकाशित किया गया था।

मार्केटिंग कोलैटेरल के लिए तृतीय पक्ष मांग प्रबंधन -तृतीय पक्ष सह-ब्रांडेड कोलैटेरल के लिए प्रक्षेत्र आवश्यकताओं को संकलित किया जाता है एवं शाखाओं में इनवेंटरी (मांग) को फिर से भरने के लिए तीसरे पक्षों के साथ साझा किया जाता है। यह मासिक आधार पर किया जाता है।

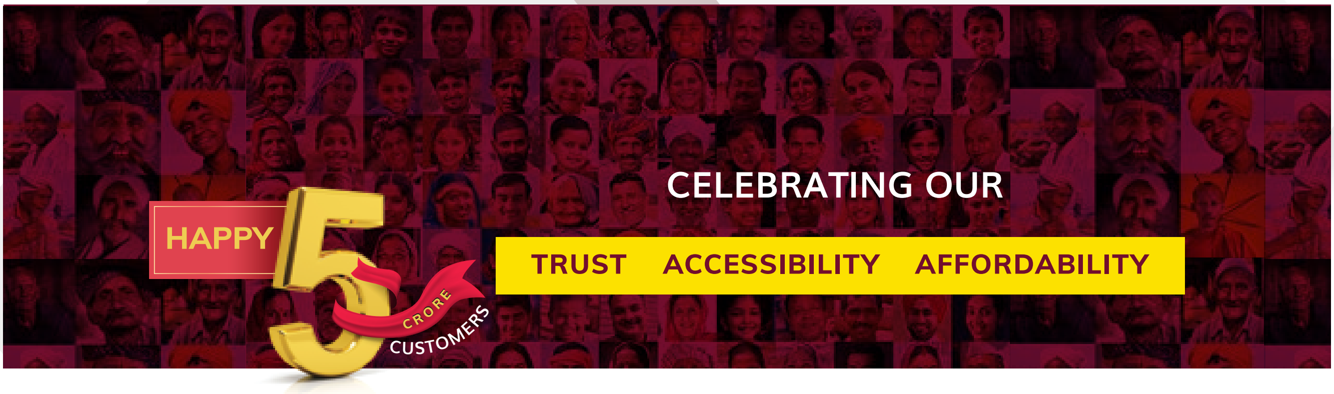

उत्पाद और करार

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लांच किए गए उत्पाद एवं करार

1. **आधार और बाल नामांकन में मोबाइल नंबर का अद्यतन** - नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस प्रकार इस क्षेत्र में इसकी काफी मांग है। आधार नामांकन केंद्र में इसे अपडेट करने में समय लगता है क्योंकि ऐसे केंद्रों पर भीड़ होती है जो आधार से संबंधित अन्य सभी सेवाएं प्रदान करते हैं। आईपीपीबी यूआईडीएआई द्वारा उपलब्ध कराए गए 'सीईएलसी' मोबाइल ऐप के माध्यम से आधार में मोबाइल नंबर को कागजरहित मोड में अपडेट करने की यह सुविधा प्रदान करता है। यह सेवा डाक घरों में या द्वार पर डाकियों के माध्यम से उपलब्ध है। यह ऐप पांच साल से कम आयु के बच्चों का आधार में नामांकन करने तथा उन्हें एक आधार नंबर जारी करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार, आधार में बच्चों का नामांकन द्वार पर आसानी से किया जा सकता है और उन्हें आधार कार्ड शीघ्रता से जारी किया जा सकता है।

2. **साधारण बीमा (जीआई) उत्पाद-**

   ए. मोटर बीमा - दुपहिया एवं चार पहिया

   i. मोटर बीमा (दुपहिया एवं चार पहिया) बिक्री सेल यानी बिक्री व्यक्तियों के प्रशिक्षित एवं प्रमाणित प्वाइंट (पीओएसपी) के माध्यम से किया जाता है।

   ii. केवल गैर-वाणिज्यिक वाहनों का बीमा किया जा सकता है। (पीले नंबर प्लेट वाले वाहनों का बीमा नहीं किया जा सकता)

   iii. बीमा उत्पादों की बिक्री माइक्रो एटीएम में असिस्टेड मोड के माध्यम से होगी।

   iv इन उत्पादों को अलग अलग संयोजनों में वाहनों के जोखिम, थर्ड पार्टी को नुकसान को कवर करने तथा अलग अलग संयोजनों में व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज करने के लिए डिजाइन किया जाता है।

   बी. **स्वास्थ्य बीमा** - बैंक जीआई पीओएसपी सर्टिफायड असिस्टेड सेल्स चैनल के माध्यम से टाटा अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप (टाटा एआईजी) तथा बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कं. प्रा. लिमिटेड (बीएजीआईसी) का हेल्थ इंश्योरेंस (मेडिकेयर) प्रस्तुत करता है। यह बीमारी या चोट लगने से उप्लब्ध स्वास्थ्य आपात स्थिति में होने वाले चिकित्सा व्यय के लिए पॉलिसीधारकों को मेडिकल कवरेज प्रदान करता है तथा इसमें पॉलिसी की शर्तों के अनुरुप सर्जिकल, डे-केयर तथा यहां तक कि ओपीडी खर्च भी शामिल होते हैं।

3. **नकद आधारित भुगतान के लिए ग्राहकों तथा गैर-ग्राहकों के लिए आईपीपीबी बीबीपीएस प्लेटफॉर्म (एमएटीएम तथा सीबीएस)** - इस सेवा के साथ हम ऐसे सभी बिल प्राप्तकर्ताओं के लिए जो एनपीसीआई के बीबीपीएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, उनके द्वारा तथा हमारे ऐक्सेस प्वांइट पर किसी से भी नकदी में बिल पेमेंट को सुगम बनाने के लिए सक्षम हैं। अब हम सभी नागरिकों के लिए चाहे वे आईपीपीबी कार्डधारक हों या नहीं, सेवा बिल भुगतान में सक्षम हैं। इस सेवा से उन लोगों को लाभ पहुंचेगा जो डिजिटल रूप से जानकार नहीं हैं और अपने बिलों का भुगतान नकदी में करना चाहते हैं।

4. **रणनीतिक जुड़ाव** - आईपीपीबी ने पेंशनभोगियों को उनके द्वार पर डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को सुगम बनाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ), देश भर के विभिन्न बंदरगाह ट्रस्टों तथा रक्षा सेवा पेंशनभोगी संघ जैसे विभिन्न संस्थानों को शामिल किया था। आईपीपीबी ने निश्चय पोषण स्कीम के लाभार्थियों का खाता खोलने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक एमओयू किया है।

5. आईपीपीबी ने आईपीपीबी डिलीवरी चैनल के माध्यम से आम लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए चाइल्ड इनरॉलमेंट लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) के जरिये मोबाइल नंबर अपडेट तथा बाल नामांकन को सुगम बनाने के लिए यूआईडीएआई का एक पंजीकार के रूप में नामांकन किया था। आईपीपीबी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मोबाइल नंबर अपडेट में 3.06 करोड़ से अधिक की संख्या छू ली थी तथा यह आधार पर 5.52 लाख से अधिक शिशुओं का नामांकन करने में सक्षम रहा है।

6. **आईपीपीबी ग्राहक आधार के लिए ऋण सेवाओं की सुविधा प्रदान करना** - अपने ग्राहकों को ऋण सुविधा प्रदान करने पर प्रतिबंध के साथ आईपीपीबी ने ऋण उत्पाद लीड उत्पन्न करने के लिए विविध एनबीएफसी एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ करार किया है।

7. **नकद प्रबंधन सेवाओं (सीएमएस) का विस्तार**- सभी डाकघरों में संग्रह के लिए पसंदीदा साझीदार बनने के उद्देश्य से आईपीपीबी ने श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड, डीटीडीसी एक्सप्रेस लिमिटेड, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ प्राप्य प्रबंधन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था।

ग्राहक सेवा

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने ईमानदारी तथा शासन के उच्चतम मानदंडों के लिए विश्वसनीय होने के साथ साथ प्रत्येक परस्पर संपर्क में सुखद ग्राहक अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हुए लगातार ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। नए उत्पादों की पेशकश और रणनीति के चरम पर ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता के साथ आईपीपीबी हमारे ग्राहकों को निर्बाधित बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है। प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देने तथा ग्राहक शिकायत के निपटान के लिए आईपीपीबी अपने ग्राहकों को संपर्क के कई मार्ग प्रदान करता है।

ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए, आईपीपीबी ने सर्किल स्तर पर शिकायत निपटान/ अधिकारी/ नोडल अधिकारियों तथा कॉरपोरेट कार्यालय में प्रधान नोडल अधिकारी को नामित किया है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लोकपाल योजना, 2018 के अनुरुप, बैंक जिन शिकायतों को अस्वीकार/आंशिक रूप से समाधान करने का प्रस्ताव रखता है, उन्हें ग्राहकों को जवाब देने से पहले आंतरिक लोकपाल (आईओ) को उद्धृत करता है।

वित्त वर्ष 2021-22 में ग्राहक सेवा के क्षेत्र में की गई विभिन्न पहलों में शामिल हैं

- वर्ष के दौरान आईपीपीबी ने गुणवत्ता स्कोर कार्ड में निरंतर सुधार किया, जो ग्राहकों की संतुष्टि को मापने के लिए एक प्रमुख मीट्रिक है।
- नोएडा, चेन्नई और कोलकाता में आईपीपीबी संपर्क केंद्रों ने ग्राहकों को आईवीआर और इनबाउंड तथा आउटबाउंड कॉलिंग के माध्यम से 13 भाषाओं (हिन्दी अंग्रेजी तथा अन्य 11 क्षेत्रीय भाषाएं) में 365 दिन 24 घंटे सहायता प्रदान करना जारी रखा। ये केंद्र अनधिकृत डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने, वर्चुअल डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग पूछताछ या अन्य शिकायतों से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए समर्पित 18008899860 तथा 155299 से सुसज्जित है।
- मोबाइल के माध्यम से द्वार बैंकिंग और बैंकिंग को ग्राहकों तथा गैर-ग्राहकों के लिए आसान बना दिया गया है जिसमें पीएसपी ऐप्लीकेशन और अन्य सेवाओं के साथ मौजूदा कई बार उपयोग किए जाने वाले विकल्प और कार्यात्मकताएं (नामांकन पंजीकरण) शामिल हैं। बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए पीएसपी ऐप्लीकेशन और मौजूदा मोबाइल ऐप्लीकेशन को नई सुविधाओं के साथ बढ़ाया जा रहा है।
- 31 मार्च, 2022 तक, इस वर्ष प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 20170 (अर्थात 1 अप्रैल, 2022 तक 271 शिकायतें बकाया, 31 मार्च, 2022 तक शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के साथ 20158 शिकायतों का समाधान कर दिया गया) थीं।

वित्त वर्ष २०२०-२१ एवं वित्त वर्ष २०२१-२२ के दौरान प्राप्त शिकायतें

क्रम संख्या		विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए स्थिति	31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए स्थिति
बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें				
1		वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	590	259
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	13992	20170
3		वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	14323	20158
	3.1	उनमें से अस्वीकार की गई		219
4		शिकायतों की संख्या 4 वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	259	271
बैंक द्वारा ओबीओ से प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतें				
5		बैंक द्वारा ओबीओ से प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतों की संख्या	45	115
	5.1	5 में से, बैंक द्वारा ओबीओ के पक्ष में समाधान की गई शिकायतों की संख्या	44	115
	5.2	5 में से, ओबीओ द्वारा सुलह/मध्यस्थता/सलाह द्वारा समाधान की गई शिकायतों की संख्या	1	0
	5.3	5 में से, बैंक के विरुद्ध ओबीओ द्वारा अवार्ड पारित किए जाने के बाद समाधान की गई शिकायतों की संख्या	0	0
6		निर्धारित समयसीमा (अपील के अतिरिक्त अन्य) के भीतर गैरकार्यान्वित अवार्डों की संख्या	0	0

Note-

- सभी 271 खुली शिकायतें आज की तारीख तक बंद हो चुकी हैं।
- बैंक के लेनदेनों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है और बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान नए उत्पाद लांच किए गए हैं।
- जहां कुल ग्राहक आधार में बढोतरी हुई है, प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढोतरी देखी गई है (ग्राहक और शिकायतों की संख्या का अनुपात मार्च 2021 के लिए 0. 007 प्रतिशत है जबकि मार्च 2022 के लिए यह 0.038 प्रतिशत है)।
- प्राप्त होने वाली शिकायतों के 96.11 प्रतिशत का समाधान 7 दिनों के भीतर कर दिया गया है और शिकायतों के समाधान के लिए टीएटी का औसत घट कर 3.17 दिनों से कम हो गया है।

मानव संसाधन

लोग मूल्य का सृजन करते हैं, एचआर लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देता है

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में हमारा मानना है कि मानव संसाधन संगठन की सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति है। हमारे कर्मचारी संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में, वे ' उत्कृष्टता के साथ विकास ' के वाहक हैं। बैंक अपने रूटीन से आगे बढ़ कर काम करता है और सकारात्मक कार्य संस्कृति का निर्माण करके लोगों के प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल करता है।

बैंक के मानव संसाधन विभाग ने वित्तीय वर्ष २०२१-२२ के दौरान कई पहल आरंभ किए जो कार्यबल की आकांक्षाओं के अनुरूप थे। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

वित्तीय वर्ष २०२१-२२ के दौरान प्रमुख एचआर उपलब्धियां

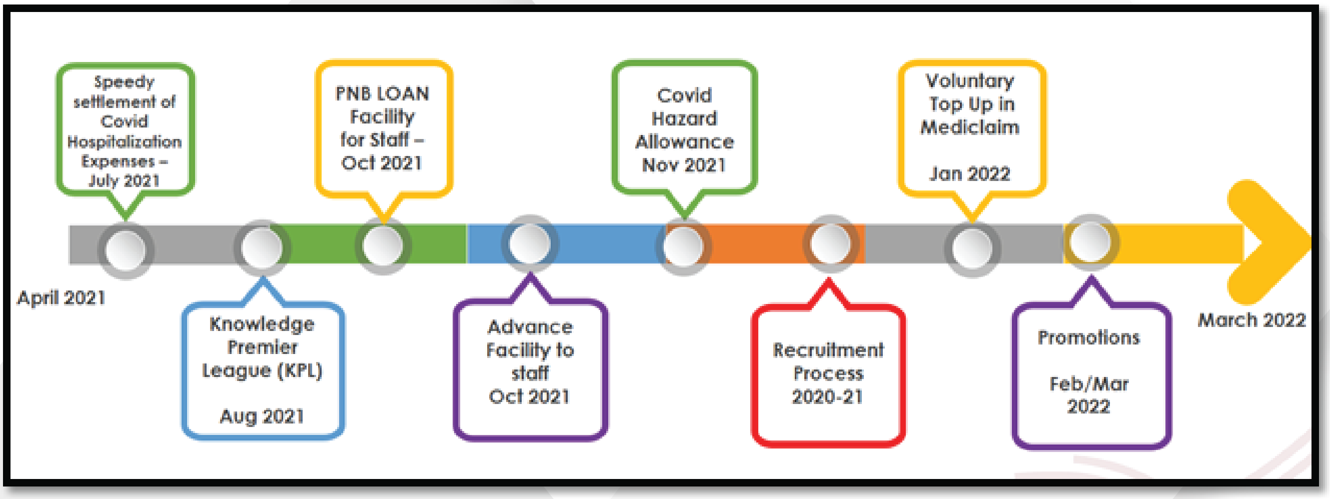

सूचना और साइबर सुरक्षा

आईपीपीबी ने ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम बैंकिंग समाधान प्रस्तुत करने के लिए परिष्कृत तकनीक अपनाई है। हालांकि, नवीनतम तकनीकों के साथ सूचना और साइबर सुरक्षा खतरों का जोखिम होता है। इसलिए बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी सबसे महत्वपूर्ण सूचना परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन रणनीति विकसित करें और यह सुनिश्चित करे कि सुचारू और निरंतर बैंकिंग परिचालन के लिए संबंधित जोखिम प्रबंधन प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जाए।

साइबर सुरक्षा

आईपीपीबी का विश्वास है कि तेजी से डिजिटलीकरण, लेनदेन की संख्या में तेज वृद्धि और नेटवर्क तथा परितंत्रों से कनेक्टिविटी को देखते हुए साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण जोखिम फोकस क्षेत्र है। आईपीपीबी में, बैंक द्वारा कार्यान्वित किए गए सूचना सुरक्षा तंत्र के केंद्र में गोपनीयता, सत्यनिष्ठ और उपलब्धता तीनों है। ग्राहक की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, बैंक साइबर सुरक्षा समाधानों को कार्यान्वित करते हुए 'गहन सुरक्षा' दृष्टिकोण का पालन करता है। यह दृष्टिकोण ऐसे साधनों एवं तकनीकों, जो एक दूसरे के पूरक और संवर्धक हैं, का उपयोग कर एक बहु स्तरीय सुरक्षा तंत्र के प्रयोग से बैंक को अपने आंकड़ों की सुरक्षा करने में सक्षम बनाता है।

बैंक ग्राहक तत्वों जैसे फिशिंग से सुरक्षा, अनुकूलित प्रमाणीकरण, जागरूकता पहलों और सबसे बढ़कर ग्राहकों के हक में सहज उपयोग संरक्षा और जोखिम विन्यास क्षमता पर भी बल देता है।

सूचना सुरक्षा तथा साइबर जोखिम प्रबंधन

आईपीपीबी के ऑर्गेनोग्राम मे एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) की भूमिका होती है जो सुरक्षा संरचना/अवसंरचना पर निगरानी के लिए और सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों के समन्वय के लिए बनाई गई है। एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित साइबर सुरक्षा, सूचना सुरक्षा नीति, डाटा गोपनीयता नीति लागू है जो विभिन्न साइबर सुरक्षा संबंधी पहलों पर दिशानिर्देश प्रदान करती है। बैंक के पास साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) भी है जो साइबर खतरे को कम करने की दिशा में रणनीति, दिशा और रोडमैप प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा प्रशासन बैंक के सूचना सुरक्षा संरचना का हिस्सा है।

आईपीपीबी सूचना सुरक्षा विभाग ने सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ समन्वय में यह सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) द्वारा निरंतर २४ घंटे निगरानी की जाए और यह उभरते साइबर खतरों की नवीनतम प्रकृति पर नियमित रूप से अपडेट रहे। बैंक वास्तविक समय के आईटी वातावरण में सुरक्षा कार्यक्रमों या घटनाओं की पहचान, निगरानी, रिकॉर्डिंग और विश्लेषण करने की प्रक्रिया के लिए सुरक्षा घटना और घटना प्रबंधन निगरानी उपकरण का उपयोग कर रहा है।

किसी भी प्रकार के साइबर हमले का प्रबंधन करने के लिए, आईपीपीबी ने विभिन्न दुर्भावनापूर्ण हमलों से निपटने के लिए उन्नत सुरक्षा समाधान स्थापित किया है और विभिन्न दुर्भावनापूर्ण हमलों का सामना करने के लिए व उन्नत निरंतर खतरा विरोधी समाधान, सर्वर संरक्षा समाधान, नेटवर्क संरक्षा समाधान आदि कार्यान्वित किए है। आईटी सिस्टम्स में कमजोरियों का आकलन करने और इन कमजोरियों को कम करने तथा जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए एक त्रैमासिक निर्बलता आकलन अभ्यास किया जाता है और जोखिमों को प्रबंधित किया जाता है।

आईपीपीबी के पास पूरी तरह से सुसज्जित आपदा रिकवरी सेट-अप है जो आवधिक रिकवरी ड्रिल द्वारा समर्थित है। इसके अतिरिक्त, नए अनुप्रयोगों को शामिल करते समय कड़े नियंत्रणों का पालन किया जाता है। बदलते साइबर सुरक्षा खतरे के परिदृश्य के आधार पर, बैंक ने एक साइबर-उचयंबीमा नीति प्राप्त की है जिसकी हर साल समीक्षा और नवीनीकरण किया जाता है और यदि आवश्यक समझा जाता है तोनए जोखिम क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। बैंक अपने रिस्पांस तंत्र को लगातार सुदृढ़ करने के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास भी आयोजित करता है और उसमें भाग लेता है।

स्वतंत्र आश्वासन के हिस्से के रूप में, सीआईएसओ कार्यालय सीईआरटी-पैनलबद्ध लेखा परीक्षकों को बैंक के लिए वार्षिक सूचना प्रणाली और सुरक्षा लेख आयोजित करने के लिए नियुक्त करता है।

कर्मचारियों को नवीनतम सुरक्षा खतरों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में अद्यतन रखा जाता है। बैंक अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल/लर्निंग पोर्टल वेबसाइट/आदि जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से लगातार साइबर सुरक्षा जागरुकता प्रदान करता है।

सीआईएसओ का कार्यालय और सिस्टम इंटीग्रेटर जोखिम प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए घनिष्ठ कार्य संबंध बनाये रखते हैं। आईपीपीबी नियमित रूप से आंतरिक और साथ ही बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा विशिष्ट विषयगत असाइनमेंट और नियामकों के माध्यम से सुरक्षा दृष्टिकोण की लगातार जांच करने और इसके नियंत्रण को मजबूत करने के लिए अपनी सुरक्षा के कई मूल्यांकन से गुजरता है।

जोखिम शासन और संरचना

एक भुगतान बैंक के रूप में, हमारे समक्ष मुख्य रूप से परिचालन जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम सहित कई अन्य जोखिम हैं। बैंक ने जोखिमों की पहचान, माप, निगरानी करने एवं दक्षता से जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं रणनीतियों का निर्माण किया है तथा बैंक की समग्र जोखिम झेलने की क्षमता के अनुरुप नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। ऐसे जोखिमों को दूर करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तैयार और अनुमोदित प्रमुख नीतियां में ट्रेजरी निवेश नीति, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति, आउटसोर्सिंग नीति, व्यापार निरंतरता नीति, आईसीएएपी नीति, तनाव परीक्षण नीति, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति, सूचना सुरक्षा नीति तथा साइबर सुरक्षा नीति आदि शामिल हैं।

प्रमुख जोखिम एवं शमन

- **परिचालनगत जोखिम प्रबंधन :**

  यह अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान का जोखिम है। परिचालनगत जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, बैंक ने सहायक संरचनाओं जैसे कि -

क) नए उत्पाद/प्रक्रिया में प्रमुख जोखिम मुद्दों की पहचान करने तथा दूर करने के लिए उत्पाद एवं परिवर्तन अनुमोदन संरचना

ख) उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम का आकलन करने तथा नियंत्रण की जांच करने के लिए जोखिम एवं नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए)

ग) परिचालनगत जोखिम नुकसान घटना की पहचान, रिपोर्टिंग, लेखांकन तथा बंदी के लिए लॉस डाटा मैनेजमेंट (एलडीएम) संरचना जिससे कि सुधारात्मक कार्रवाइयों के माध्यम से नुकसानों की माप की जा सके तथा इसे सीमित किया जा सके

घ) जोखिम मुद्दों की निरानी करने के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) -के साथ एक परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है।

इसके अतिरिक्त, बैंक के उत्पादों एवं प्रक्रियाओं पर एक विषयगत अध्ययन भी संचालित किया जाता है जिससे कि परिचालनगत जोखिम मुद्दों, अगर कोई हो, की पहचान की जा सके तथा जहां कहीं भी आवश्यक हो, उपयुक्त नियंत्रण का सुझाव दिया जा सके।

- **धोखाधड़ी का जोखिम -**

  आईपीसी की धारा २५ में कहा गया है '' किसी व्यक्ति को धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से कुछ करने को कहा जाता है, अगर वह ठगने के इरादे से वह काम करता है, अन्यथा नहीं ''। आपराधिक धोखे से कोई काम अकेले या दूसरों की मिलीभ-गत से किया जाता है, जिसका उद्देश्य वह लाभ प्राप्त करना है जिसका वह कानूनी तरीके से हकदार नहीं है।

धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए, प्रबंधन और बोर्ड स्तर की समितियां धोखाधड़ी/ धोखाधड़ी के प्रयास के मामलों की जांच के लिए तथा धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए प्रणाली और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। १ लाख रुपये तथा इससे अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की बोर्ड को रिपोर्ट करने के अतिरिक्त, बैंक इन मामलों को आरबीआई को भी रिपोर्ट करता है।

भुगतान प्रणाली से संबंधित धोखाधड़ी पर ध्यान देने के लिए, बैंक एनपीसीआई द्वारा विकसित इंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस का अनुसरण कर रहा है। बैंक का मानना है कि रोकथाम उपचार से बेहतर है और इस दिशा में बैंक ने अपने कर्मचारियों को साप्ताहिक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन श्रृंखला वितरित करने के जरिये धोखाधड़ी रोकथाम उपायों को बढ़ाया है। बैंक धोखाधड़ी जोखिम जागरुकता को सोशल मीडिया पर होस्ट करने के जरिये अपने ग्राहकों को भी प्रसारित करता हैं। लर्निंग पोर्टल समर्पित किया गया है जहां बैंक ने कर्मचारियों के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर अनिवार्य ई-लर्निंग मॉड्यूल होस्ट किया है

बाजार जोखिम प्रबंधन, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन :
जोखिम यही है कि 'ऑन' या 'ऑफ' बैलेंस शीट पोजिशन का वैल्यू इक्विटी और ब्याज दर बाजारों, मुद्रा विनिमय दरों तथा कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव से प्रतिकूल तरीके से प्रभावित होगी। एक भुगतान बैंक के रूप में, हम मुख्य रूप से ब्याज दर चरों (वैरियेबल) में परिवर्तन के संपर्क में हैं। निदेशक मंडल, बोर्ड की उप समितियों और प्रबंधन स्तर समितियों के माध्यम से उद्यम स्तर पर बाजार जोखिम के समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।

तरलता, ब्याज दर और बाजार आदि से उत्पन्न जोखिमों को दूर करने के लिए बैंक की एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन और बाजार जोखिम प्रबंधन नीति है। आईपीपीबी ने अपने ट्रेजरी कार्यों के लिए परिचालन दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए ट्रेजरी निवेश नीति भी तैयार की है। इन नीतियों में प्रबंधन प्रथाएं, प्रक्रियाएं, युक्तिसंगत जोखिम सीमाएं, समीक्षा तंत्र और रिपोर्टिंग प्रणाली शामिल हैं। इन नीतियों की वित्तीय और बाजार स्थितियों में बदलाव के अनुरूप समय समय पर समीक्षा की जाती है।

बाजार जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित उचित नियंत्रण तंत्र के अनुसार ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम की निगरानी और प्रबंधन किया जाता है। बाजार की स्थिति, फंडिंग पैटर्न, अवधि, प्रतिपक्ष सीमा और विभिन्न अन्य संवेदनशील मापदंडों की भी बैंक द्वारा नियमित आधार पर निगरानी की जाती है।

बैंक नियमित आधार पर संरचनात्मक तरलता विवरणों तथा स्टॉक अनुपात के माध्यम से तुलन पत्र के सभी मदों के लिए तरलता जोखिम की माप और निगरानी करता है। यह ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर रिपोर्ट के माध्यम से अपने ब्याज दर जोखिम की निगरानी भी करता है।

बैसल अनुपालन :

•

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने क्रेडिट जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए), परिचालन जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) और कंप्यूटिंग के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) अपनाया है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात आईपीपीबी तिमाही अंतराल पर बेसल मानदंडों के तहत जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के उत्तोलन (लेवरेज) अनुपात (एलआर) के लिए पूंजी की गणना कर रहा है। आरबीआई के स्तंभ २ दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) पर एक नीति तैयारकी गई है जो बैंक के सामने आने वाले सभी भौतिक प्रबंधन प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के लिए तैयार की गई हैं जो उन्हें जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए और कम करने के लिए तथा ऐसे जोखिमों के अनुरूप अपनी पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए भी मौजूद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और बैंक की तनाव परीक्षण नीति के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता पर प्रभाव का आकलन करने के लिए तरलता, ब्याज दर और परिचालन जैसे विभिन्न जोखिमों पर तिमाही अंतराल पर तनाव परीक्षण का संचालन करता है।

सतर्कता प्रशासन

बैंक का सतर्कता विभाग बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थापित किया गया है जिसके अध्यक्ष आईपीपीबी के एमडी एवं सीईओ हैं तथा उनकी सहायता मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जाती है जो भारतीय डाक सेवा (आईपीओएस) के एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हैं और डाक विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात हैं। सीवीओ सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में एमडी और सीईओ के सलाहकार के रूप में काम करता है तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डाक विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है।

सर्किल स्तरों पर, सतर्कता संबंधी कार्यों का निर्वहन २३ आईपीपीबी सर्किलों के प्रमुखों द्वारा किया जाता है जो डीओपी सर्किलों के साथ सह-सीमावर्ती होते हैं।

अनुशासनात्मक मामले

01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान आवश्यक कार्रवाई और सलाह देने के लिए ‘ सतर्कता कोण ’ वाले अनुशासनात्मक मामलों तथा मानव संसाधन विभाग / सर्किल प्रमुखों से प्राप्त निपटान किए गए तथा लंबित मामलों का सारांश निम्नलिखित है :

शिकायतें -

आईपीपीबी का सतर्कता विभाग सीवीसी, डाक विभाग, संसद सदस्यों, आम जनता और अपने खुद के कर्मचारियों जैसे विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त करता है। इन शिकायतों की जांच की जाती है और इन मामलों को आईपीपीबी अधिकारियों की ओर से अपराध प्रवृत्ति की पहचान करने तथा प्रणालीगत सुधार के लिए सुझावों, अगर कोई जरुरत हो, के साथ जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए ‘ सतर्कता कोण ’ वाले मामलों में लिया जा रहा है। सतर्कता विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक कुल 09 शिकायतों का निस्तारण/ निवारण किया गया ।

लेवेल	प्रमुख शास्ति कार्यवाहियां		गौण शास्ति/प्रशासनिक कार्यवाहियां	
	निस्तारित	लंबित	निस्तारित	लंबित
एजीएम एवं ऊपर	00	01	00	00
एजीएम से नीचे	01	00	02	00

खबरों में

THE ECONOMIC TIMES wealth

India Post Payments Bank: How to book IPPB doorstep banking service online

India Post Payments Bank (IPPB) provides services at your home through Doorstep Banking (DSB) for your regular banking transactions. The service is available to all citizens in every district, town, and village across the country.

According to IPPB website, "You can open a bank account, transfer funds, deposit and withdraw cash, recharge or pay bills, buy life insurance & general insurance and accomplish much more with our Doorstep Banking Services facility, at nominal charges (NIL charge for new account opening at your doorstep) You can also access your Aadhaar linked accounts held with other bank and avail some of the services like Cash withdrawal."

How to book IPPB doorstep banking service online

Customers can call or make a request to avail doorstep banking.
Call @ Call Centre - 155299
Ad-hoc request through GDS, Postmen or Post office

Service hours

According to the IPPBwebsite, "The request can be raised for minimum for T+2 maximum to T+10. Customer can pick time slot for delivery of service between 11:00AM to 4:PM on scheduled date."

Doorstep Banking Service Charges

IPPB will charge per customer serviced outside 1Km from the Post Office, a flat Rs 20 including GST per doorstep visit. There is no restriction to the number of transactions a customer can do during a DSB visit (CIT). If another customer is served during the same visit, this will be deemed a separate DSB delivery and will be charged.

Business Standard

Thursday, August 4, 2022 | 12:02 AM IST English | Hindi

HOME MARKETS COMPANIES OPINION SPECIALS TECHNOLOGY PF PORTFOLIO

Today's Paper Latest News Economy Finance Current Affairs International Management Strategist Weekend

JUST IN Uber sells entire stake in Zomato; pockets Rs 3,088 cr, makes 2.4x returns

You are here: Home » Companies » News

HDFC Bank ties up with IPPB to serve semi-urban, rural areas

About 90 per cent of IPPB customers reside in rural areas

Topics
HDFC Bank | IPPB | Banking

Press Trust of India | New Delhi
Last Updated at December 27, 2021 17:14 IST

NDTV PROFIT HOME NEWS LIVE TV CRYPTO MARKETS MUTUAL FUND MONEY ECONOMY

Business > Corporates > LIC Housing Finance To Offer Home Loans To India Post Bank Customers

This Article is From Sep 07, 2021

LIC Housing Finance To Offer Home Loans To India Post Bank Customers

The alliance with LIC Housing Finance is part of IPPB's strategy to expand its range of products and services.

Corporates | Edited by Animesh Singh | Updated: September 07, 2021 8:02 pm IST

ZEE BUSINESS हिंदी में पढ़ें

HOME PERSONAL FINANCE INDIA ECONOMY TECH AUTO MARKETS RAILWAYS WORLD SURVEY VIDEOS

Diwali 2021: India Post Payments Bank starts selling motor and health insurance – Know complete details

This Diwali, IPPB has informed its millions of customers about the health and motor insurance. Interested individuals can login to the official website of IPPB at ippbonline.com for further details.

THE ECONOMIC TIMES Industry

India Post Payments Bank doubles transactions, plans digital inroads with India Post

Synopsis
Digital life certificate, which enables senior citizens to upload their proof of life for any pension scheme, instead of appearing in person before the authorities, is among several citizen services the payment bank introduced a few months ago.

ZEE BUSINESS हिंदी में पढ़ें

HOME PERSONAL FINANCE INDIA ECONOMY TECH AUTO MARKETS RAILWAYS WORLD SURVEY VIDEOS

UIDAI ALERT! Door step service launched! UPDATE mobile number on Aadhaar without going anywhere - here's how

India Post Payments Bank (IPPB) has launched the service for updating mobile number in Aadhaar as a Registrar for UIDAI. With the help of this service, an Aadhaar holder will be able to update his or her mobile number in Aadhaar by the postman at one's doorstep.

पुरस्कार एवं सम्मान

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक को निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक 2021- बीएफएसआई उत्कृष्टता पुरस्कार ;क्वांटिक और एनईसी

सर्वश्रेष्ठ वित्तीय समावेशन भुगतान पहल - आईपीपीबी और एफएसएस के संयुक्त विजेता
इमर्जिंग पेमेंट्स पुरस्कार 2021

सदस्यगण,

आपके निदशकों को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा इस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की समीक्षा के साथ दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के सहित कंपनी (''आईपीपीबी'') की चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नलिखित हैः

(राशि लाख ₹ में)

	वित्तीय वर्ष समाप्त	वित्तीय वर्ष समाप्त
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
कुल राजस्व	46120.41	21304.39
कुल व्यय	62082.14	53358.78
असाधारण मदें पूर्व अवधि व्यय	-	-
निवल लाभ/निवल हानि	(15961.73)	(32054.39)
तुलन पत्र में ले जाई गई शेष राशि	(82287.58)	(50089.55)
आमेलन के लिए उपलब्ध लाभ	(98239.31)	(82143.94)
प्रति शेयर अर्जन (मूल)	(1.22)	(3.04)
प्रति शेयर अर्जन (डायलुटेड)	(1.22)	(3.04)
भारत सरकार की शेयरधारिता (%)	100%	100%

निष्पादन की मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण

इस अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा कुल राजस्व ₹ 4,61,20.41 तथा कुल व्यय ₹ 62082.14 रिकॉर्ड किया गया। वर्ष के दौरान, कुल हानि ₹ 15961.73 है। पिछले वर्ष कंपनी को ₹ 32054.39 की हानि हुई थी।

सार्वजनिक जमा

एक बैंकिंग कंपनी होने के कारण, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 और 74 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (5) (V) (VI) के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण आपकी कंपनी पर लागू नहीं होता है।

लाभांश

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं की गई थी।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

निदेशक सदस्यों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की आवयकताओं के अनुरुप हैं।

निदेशक सुनिश्चित करते हैं कि,

- वार्षिक लेखों को लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है।
- सुसंगत आधार पर चयनित तथा लागू की गई लेखांकन नीतियां, कंपनी के मामलों एवं वित्तीय वर्ष के लाभ के संबंध में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करती है।

- कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा हेतु तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम व पहचान के लिए समुचित लेखांकन रिकॉर्डो के रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।
- वार्षिक लेखों को कार्यशील संस्था के आधार पर बनाया गया है।
- सभी लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई प्रणालियां पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से परिचालित थीं।

सांविधिक लेखापरीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक, मेसर्स मेहरा गोयल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (एफआरएन-000517एन) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई योग्यता, आशंका या प्रतिकूल टिप्पणी शामिल नहीं है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उठाये गए बिंदु स्व-व्याख्यात्मक हैं।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

साचिविक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के अनुसार, कंपनी ने कंपनी की साचिविक लेखापरीक्षा के लिए मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को नियुक्त किया है। दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की 3 साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रबंधन के उत्तर के साथ साथ इस रिपोर्ट में संलग्न हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यय

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्यागिकी समावेशन तथा विदेशी विनिमय अर्जन एवं व्यय से संबंधित प्रासंगिक आंकड़े निर्धारित प्रारूप में दिए गए हैं तथा इस रिपोर्ट में संलग्न हैं।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

निदशक मंडल द्वारा 19 जनवरी, 2017 को कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को अनुमोदित किया गया। अभी तक कंपनी पर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित प्रावधान लागू नहीं हैं।

निदेशक मंडल

बैंक का निदेशक मंडल व्यापक आधार वाला है और इसका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित है। निदेशक मंडल प्रत्यक्ष के साथ साथ, बैंक के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों में केंद्रित अधिशासन प्रदान करने के लिए गठित विभिन्न बोर्ड समितियों के माध्यम से कार्य करता है।

निदेशकों के परस्पर संबंध

आपके बैंक के बोर्ड में कोई भी निदेशक, किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं है।

बोर्ड की बैठकों के लिए निर्दिष्ट संख्या

बोर्ड की बैठकों के लिए सदस्यों की निर्दिष्ट संख्या कुल संख्या का एक तिहाई या दो निदेशक, जो भी अधिक होगा, बशर्ते कि उसमें कम से कम एक निदेशक केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति हो।

31 मार्च, 2022 को कंपनी का निदेशक मंडल:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल प्रभावी होने की तिथि
1	विनीत पांडेय	अध्यक्ष एवं निदेशक	09/06/2021
2	अनंदिता सिंहारे	नामित निदेशक	28/07/2020
3	पवन कुमार सिंह	नामित निदेशक	15/12/2021
4	जे वेंकटरामू	एमडी एवं सीईओ	29/10/2020
5	संजय प्रसाद	नामित निदेशक	05/12/2018

निम्नलिखित व्यक्तियों को वर्ष के दौरान/पिछली वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तिथि से रिपोर्ट तिथि तक, निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नियुक्त किया गया:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल प्रभावी होने की तिथि
1	विनीत पांडेय	अध्यक्ष एवं निदेशक	09/06/2021
2	पवन कुमार सिंह	नामित निदेशक	15/12/2021

निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट वर्ष के दौरान/पिछली वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) की तिथि से आज की तिथि तक, निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नहीं रहे:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	त्याग पत्र की तिथि
1	के संध्या रानी	नामित निदेशक	27/01/2021	26/11/2021

निम्नलिखित व्यक्तियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्ट की अवधि के दौरान केएमपी के रूप में पदनामित किया गया:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल प्रभावी होने की तिथि
1	जे वेंकटरामू	एमडी एवं सीईओ	29/10/2020
2	सीमा सिंह	मुख्य वित्तीय अधिकारी	30/04/2019
3	प्रियंका भटनागर	कंपनी सचिव	16/01/2017

बोर्ड बैठकें

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की निम्न छह (6) बैठकें हुईं:

बोर्ड की 41वीं बैठक, 30 जून, 2021	बोर्ड की 42वीं बैठक, 29 जुलाई, 2021	बोर्ड की 43वीं बैठक, 10 अगस्त, 2021
बोर्ड की 44वीं बैठक, 26 अक्टूबर 2021	बोर्ड की 45वीं बैठक, 17 दिसंबर, 2021	बोर्ड की 46वीं बैठक, 11 फरवरी, 2022

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक का नाम	आपके बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित बैठकों की कुल संख्या-06)
विनीत पांडेय	06 में से 06
संजय प्रसाद	06 में से 01
विश्णु राम प्रसाद दुसाद	03 में से 03
पिल्लरसेट्टी सतीश	03 में से 03
के संध्या रानी	04 में से 04
अनंदिता सिंहारे	06 में से 01
पवन कुमार सिंह	02 में से 02
जे वेंकटरामू	06 में से 06

समितियां

बैंक के निदशक मंडल द्वारा कॉरपोरेट अधिशासन तथा जोखिम प्रबंधन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के सन्दर्भ में नीतिगत महत्व के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए निदेशकों और/अथवा कार्यपालकों की विभिन्न उप-समितियों का गठन किया गया है। महत्वपूर्ण समितियां निम्नलिखित हैं:

- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
- बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
- बोर्ड की हितधारक सम्बंध समिति
- बोर्ड कीएचआर संचालन समिति (पूर्व में भर्ती सलाहकार समिति)
- बोर्ड की आईटी संचालन समिति

लेखापरीक्षा समिति

कंपनी की लेखापरीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधान के तहत किया गया है। समिति में तीन सदस्य हैं जिसमें श्री पवन कुमार सिंह अध्यक्ष हैं। लेखा समिति बोर्ड की लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता और अखंडता तथा कानून के अनुपालन तथा अन्य नियामकीय आवश्यकताओं की देखरेख करने के बोर्ड के उत्तरदायित्व में उसकी सहायता करती है। समिति का उद्देश्य कंपनी की लेखा और वित्तीय प्रक्रिया की निगरानी करना तथा त्रैमासिक समीक्षा और बैंक के वार्षिक लेखों की समीक्षा करना है। वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की पांच (05) बैठकें हुई।

लेखापरीक्षा समिति की 21वीं बैठक, 29 जुलाई, 2021	लेखापरीक्षा समिति की 22वीं बैठक, 28 सितंबर, 2021	लेखापरीक्षा समिति की 23वीं बैठक, 20 दिसंबर, 2021
लेखापरीक्षा समिति की 24वीं बैठक, 08 फरवरी, 2022	लेखापरीक्षा समिति की 25वीं बैठक, 24 मार्च, 2022	

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार हैं। अन्य के साथ कार्यों की कुछ सूची निम्नलिखित हैः

- कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक हेतु सिफारिशें।
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता एवं निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी।
- वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का परीक्षण।
- संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या कोई अनुवर्ती संशोधन।
- अंतर-कॉरपोरेट ऋणों और निवेशों की संमीक्षा
- कंपनी के उपक्रमों अथवा आस्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक माना जाए।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
- सार्वजनिक प्रस्तावों द्वारा जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग तथा संबंधित मामलों की निगरानी।
- बोर्ड द्वारा समय समय पर अनुदेशित किए जाने वाले अन्य उत्तरदायित्व।

निगरानी प्रणाली

कंपनी में व्हिसल ब्लोअर नीति के रूप में एक निगरानी प्रणाली विद्यमान है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को शिकायतें उठाने और की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रदान करना है और कर्मचारियों को आश्वस्त करना है कि अत्याचार के विरुद्ध तथा सद्भाव से उनके द्वारा किए गए किसी भी व्हिसल ब्लोइंग के लिए उनकी सुरक्षा की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य कंपनी के कर्मचारियों की किसी भी समस्या को नजरअंदाज करने या उसे बाह्य रूप से संभालने के स्थान पर संगठन के अंदर गंभीर चिंताओं को उठाने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम करना है। कंपनी पारदर्शिता, ईमानदारी तथा जवाबदेही के उच्चतम संभव मानकों के प्रतिबद्ध है। इसमें सद्भाव के साथ चिंता उठा कर निगरानी प्रणाली का उपयोग करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उपाय सम्मिलित हैं। व्हिसल ब्लोअर की इच्छा के अनुसार, कंपनी व्हिसल ब्लोअर की पहचान गोपनीय रखती है, हालांकि व्हिसल ब्लोअर को अनशासनात्मक सुनवाई या कार्यवाही, जैसा भी शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हो, में भाग लेना आवश्यक है। यह प्रणाली एक विस्तृत शिकायत एवं जांच प्रक्रिया प्रदान करती है। यदि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो, कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से शिकायत कर सकता है। कंपनी अपने कर्मचारियों को सीधे प्रबंध निदेशक से संपर्क करने हेतु एक मंच भी प्रदान करती है। उल्लंघनों की सूचना प्रदान करने वाले लोगों की गोपनीयता बनाये रखी जाती है और उनके साथ कोई भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया था। समिति में तीन सदस्य हैं जिसमें श्री पवन कुमार सिंह अध्यक्ष हैं। कंपनी में एक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसका उद्देश्य जोखिम एवं प्रतिलाभ के मध्य संतुलन रखना है। इसमें कंपनी के व्यवसायों में जोखिम की पहचान, मापन और प्रबंधन का समावेश है। इस नीति के अनुसार, निगरानी और सुधारात्मक कार्यवाही सतत आधार पर की जाती है। समिति के पास बाजार एवं परिचालन जोखिम सहित उचित जोखिम प्रबंधन नीति बनाने, जोखिम एकीकरण, सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन व्यवहारों का कार्यान्वयन, विभिन्न जोखिम सीमाओं की स्थापना तथा बैंक की साइबर सुरक्षा की समीक्षा सहित, बैंक के पूर्ण जोखिम प्रबंधन का समग्र दायित्व है। कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति यथावत कार्यान्वित की है। वर्ष 2021-22 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की तीन (3) बैठकें आयोजित हुई।

9वीं जोखिम प्रबंधन समिति 13 सितंबर, 2021	10वीं जोखिम प्रबंधन समिति 22 दिसंबर, 2021	11वीं जोखिम प्रबंधन समिति 22 मार्च, 2022

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन 28 जून, 2017 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत किया गया था। समिति में तीन सदस्य हैं जिसमें श्री पवन कुमार सिंह अध्यक्ष हैं। समिति का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (1) के तहत निदेशक के रूप में चुने गए व्यक्तियों की ''फिट और उचित मानदंड'' की स्थिति का निर्धारण करने के लिए यथोचित परिश्रम करने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दिनांक 30.08.2019 की अधिसूचना के माध्यम से नामांकन और 02.08.2019 के आरबीआई मास्टर निर्देश द्वारा निर्दिष्ट संरचना के साथ पारिश्रमिक समिति, दोनों के कार्यों को करने के लिए एक एकल नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करने का निर्देश दिया था। वर्ष 2021-22 के दौरान, समिति की एक (1) बैठक आयोजित हुई।

02 एनआरसी 08 फरवरी, 2022

ग्राहक सेवा समिति

कंपनी की ग्राहक सेवा समिति का गठन 28 जून, 2017 को बैंक द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता में जारी सुधारों को सतत आधार पर बनाये रखने के लिए किया गया। समिति में तीन सदस्य हैं जिसमें श्री पवन कुमार सिंह अध्यक्ष के रूप में तथा एक विशेष आमंत्रित के रूप में लीड ग्राहक सेवा अधिकारी हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, ग्राहक सेवा समिति की दो (2) बैठकें आयोजित हुई।

6ठी ग्राहक सेवा समिति 27 सितंबर, 2021	7वीं ग्राहक सेवा समिति 24 मार्च, 2022

एचआर संचालन समिति (पूर्व में भर्ती सलाहकार समिति के रूप में ज्ञात)

कंपनी की एचआर संचालन समिति का गठन 01 दिसंबर, 2017 को किया गया। समिति में तीन सदस्य हैं जिसमें श्री पवन कुमार सिंह अध्यक्ष के रूप में तथा एक विशेष आमंत्रित के रूप में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, भर्ती सलाहकार समिति की चार (4) बैठकें आयोजित हुई।

14वीं आरएसी 11 जून, 2021	15वीं आरएसी 28 जुलाई, 2021	16वीं आरएसी 28 सितंबर, 2021	17वीं आरएसी 22 मार्च, 2022

हितधारक संबंध समिति

कंपनी की हितधारक संबंध समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया था। समिति में तीन सदस्य हैं जिसमें श्री पवन कुमार सिंह अध्यक्ष हैं। समिति हितधारकों की शिकायतों के निवारण की पद्धति की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2021-22 के दौरान, इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

आईटी संचालन समिति

बोर्ड की आईटी संचालन समिति का गठन 05 दिसंबर, 2018 को किया गया समिति में तीन सदस्य हैं जिसमें श्री पवन कुमार सिंह अध्यक्ष हैं। मुख्य तकनीकी अधिकारी समिति में स्थायी आमंत्रित हैं। बोर्ड की आईटी संचालन समिति के मुख्य कार्य हैं:

- प्रबंधन द्वारा प्रभावी कार्यनीति आयोजना प्रक्रिया की स्थापना सुनिष्चित करने के लिए आईटी कार्यनीति तथा नीति का अनुमोदन।
- यह सुनिष्चित करने के लिए कि आईपीपीबी का तकनीकी संगठनात्मक स्वरूप व्यवसायिक स्वरूप के अनुकूल है, प्रतिभा स्रोतों पर सहायता व अनुदेष प्रदान करना।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) में यथा निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूर्ण करता है और बोर्ड के विचार से वे अधिनियम में विनिर्दिश्ट शर्तो एवं इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों को पूर्ण करते हैं तथा प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत सूचना

आईपीपीबी के सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 तथा प्रासंगिक नियमों के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में नियम एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। आईपीपीबी के कंपनी सचिव व मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का वेतन, नियुक्ति के नियम एवं शर्तें कंपनी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अपने और अपनी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के निष्पादन के संबंध में औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन का विवरण

आईपीपीबी के सरकारी कंपनी होने के कारण, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5.06.2015 को जारी राजपत्र के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) तथा प्रासंगिक नियमों के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

संबद्ध पक्षकार लेनदेन

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी संबद्ध पक्षकार संविदा, अनुबंध या लेनदेन नहीं किया गया है, और इसीलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) के अनुसार फॉर्म एओसी 2 में संदर्भित संबद्ध पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा किए गए संविदाओं/अनुबंधों संबंधित विवरण का कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

09वीं आईटीएससी 16 जून, 2021	10वीं आईटीएससी 09 जुलाई 2021	11वीं आईटीएससी 26 सितंबर, 2021

- सर्वोत्तम व्यवहार तकनीक कार्यान्वयन पर केंद्रित प्रणालीगत आर्किटेक्चर बनाने के लिए प्रबंधन का मार्ग प्रषस्त करना।
- नए तकनीक विकल्पों और लागत विवेचनों के समायोजनों के साथ जोखिम तथा लाभ में संतुलन करने हेतु निम्न व्यवसाय मानदंडों पर तकनीक में निवेष का अनुमोदन
  - नए राजस्व क्षेत्र
  - ग्राहक अनुभव को बढ़ाना
  - विनियामक अनुपालन
  - प्रक्रिया कुषलता को बढ़ाना

वर्ष 2021-22 के दौरान, आईटी संचालन समिति की तीन (3) बैठकें आयोजित हुई।

होल्डिंग एवं सहायक कंपनी

कोई भी होल्डिंग अथवा सहायक कंपनी नहीं है।

कंपनी की प्राधिकृत एवं प्रदत्त षेयर पूंजी में परिवर्तन

(I) **प्राधिकृत पूंजी:** 1,85,50,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक का मूल्य ₹ 10/-

(II) **प्रदत्त पूंजी:** 1,45,50,00,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक का मूल्य ₹ 10/-

इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू

कंपनी ने 20,00,00,000 इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू शेयरधारकों की मौजूदा शेयरधारिता के अनुपात में मौजूदा इक्विटी शेयरधारक, भारत के राष्ट्रपति को सचिव, डाक विभाग, के माध्यम से किया है।

वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उपधारा (3) के अनुसार, 31 मार्च, 2022 के वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष फॉर्म एमजीटी 9 में तथा जो इस रिपोर्ट का एक भाग है, अनुबंध ए के रूप में संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत किए गए ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा से अधिक ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किए गए और इसलिए उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होता है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धता:

इस रिपोर्ट अवधि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई), अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त अनुरोधों पर कार्यवाही करने के लिए संगठन में व्यापक स्तर पर व्यवस्था की है। जानकारी प्राप्त करने में एक नागरिक की सहायता करने एवं सुविधा के लिए आईपीपीबी की वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनमें जानकारी प्राप्त करने और अधिनियम के अंतर्गत पहली अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के अनुरुप आईपीपीबी की वेबसाइट पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के प्रसार का सक्रिय प्रकटीकरण किया गया है, जिससे नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम की कम से कम सहायता लेनी पड़े।

राजभाषा (आधिकारिक भाषा)

आपकी कंपनी आधिकारिक भाषा (राजभाषा हिन्दी) के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए ठोस प्रयास करती है। भारत सरकार की राजभाषा नीति/अधिनियम/नियमावली/आदेशों के अनुसार कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को सतत बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान इस संबंध में उठाये गए कुछ महत्वपूर्ण कदम, यथा लेखन में सरल एवं बोलचाल के शब्दों के प्रयोग से दैनिक कार्यालयीन पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कंपनी में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। कंपनी की वेबसाइट अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में उपलब्ध है।

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (5) (viii) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) क्यू के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध सूचना

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को परिचालन दक्षता, संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण, वित्तीय रिपोर्टिंग में सटीकता एवं तत्परता तथा विधियों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी की आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं तथा विनियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन तथा साथ ही साथ इसकी पर्याप्तता एवं प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया द्वारा समर्थित है। प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर चर्चा की जाती है।

निदेशकों द्वारा सांविधिक प्रकटीकरण

आपकी कंपनी का कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है। आपके निदेशकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण किए गए हैं।

औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रबंधन तथा कर्मचारियों के बीच अत्यधिक सौहार्दपूर्ण संबंध थे। कंपनी के कर्मचारियों के विकास हेतु मानव संसाधन पहलें जैसे -कौशल उन्नयन, प्रषिक्षण एवं उत्पादकता प्रगति महत्वपूर्ण केंद्र बिन्दु थे।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी स्वस्थ वातावरण प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है और इसलिए किसी रूप में कोई भी भेदभाव और/या उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करती है। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरुप यौन उत्पीड़न विरोधी नीति बनाई है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। इस नीति के अंतर्गत सभी महिला कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, अस्थायी, प्रशिक्षु) सम्मिलित हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

आपके निदेशक पुनः स्पष्ट करते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया।

उनके अलावा, जो केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हैं, धारा 143 (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक, समवर्ती लेखा परीक्षक और सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा समिति को या किसी को धोखाधड़ी का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था।

सचिवीय मानदंड

निदेशकों का कहना है कि कंपनी पर लागू सचिवीय मानदंडों का कंपनी द्वारा विधिवत पालन किया गया है।

लागत लेखापरीक्षा के बारे में प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी के नियम 14 के तहत दिया गया प्रावधान (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014, वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं।

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी तथा विदेश का संरक्षण विनिमय आय/बहिर्गमन

अनुबंध-ए

अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल, भारत सरकार, विशेष रूप से संचार मंत्रालय (डाक विभाग), वित्तीय संस्थानों, बैंकों, ग्राहकों तथा अन्य सभी हितधारकों से प्राप्त सहयोग के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल सीएंडएजी और सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा साचिविक लेखापरीक्षकों से मिले अत्यधिक मूल्यवान सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। इस अवसर पर प्रत्येक कर्मचारी के मूल्यवान योगदान, कड़ी मेहनत तथा समर्पण के लिए भी निदेशक गण धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बोर्ड का विश्वास है कि कर्मचारियों के अनवरत एवं समर्पित प्रयासों से आपकी कंपनी नई चुनौतियों का सामना करने एवं बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होगी।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 26/11/2022	विनीत पांडेय अध्यक्ष डिन-09199133 बी2, टावर 5, न्यू मोतीबाग, नई दिल्ली-21	जे. वेंकटरामू एमडी एवं सीईओ डिन-08918442 प्लॉट नंबर. 169, सीबीआर कृष्णा वेणी इंकलेव याप्राल, तिरुमलगिरि, हैदराबाद-500087

अनुबंध -ए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा 3 के खंड (एम) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 (3) के अनुसार

(ए). ऊर्जा संरक्षण:

ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए प्रयास	कंपनी की उन क्षेत्रों में बिजली कार्यालय समय के बाद बिजली बंद कर देने की नीति है जहां कर्मचारी घर जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। कंपनी ऊर्जा संरक्षण के लिए एयर कंडीशनिंग तापमान का रखरखाव भी करती है। कंपनी लगातार अपने ऊर्जा उपयोग और क्षमता को अनुकूलित करने का प्रयास करती है।
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए किए गए प्रयास	कंपनी के पास ऊर्जा का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है।
ऊर्जा संरक्षण के लिए पूंजीगत निवेश	ऊर्जा की खपत कम करने के लिए, जब भी आवश्यक समझा जाता है, समय समय पर निवेश हेतु विचार किया जाता है।

(बी) प्रौद्योगिकी समावेशन:

- प्रौद्योगिकी समावेशन हेतु किया गया प्रयास: **शून्य**
- उत्पाद सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ: **शून्य**
- आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में परिगणित पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित): **लागू नही**
    - (अ) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण
    - (ब) आयात का वर्ष
    - (स) क्या प्रौद्योगिकी पूर्ण रूप से समावेश हो गई है
    - (द) यदि पूर्ण रूप से समावेश नहीं हुई है, तो वह क्षेत्र जहां समावेश नहीं हुई है, तथा उसके कारण, और
- अनुसंधान एवं प्रगति पर किया गया व्यय: **शून्य**

(सी) विदेशी विनिमय अर्जन और व्यय:

उपयोग किया गया विदेशी विनिमय: **शून्य**
अर्जित किया गया विदेशी विनिमय: **शून्य**

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

सेवा में, भारत के राष्ट्रपति

एकल वित्तीय विवरण राय की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

- हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (''बैंक'') की संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें मार्च, 2022 का तुलन-पत्र, लाभ हानि खाता, तब समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं सम्मिलित हैं।

- हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय तथा विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के द्वारा अपेक्षित जानकारी बैंकिंग कंपनियों के लिए अपेक्षित रूप में देते हैं तथा कंपनी अधिनियम नियमावली, 2014 (यथा संोधित) के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2022 को बैंक के मामलों की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ तथा इसके नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष जानकारी देते हैं।

राय का आधार

- हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार, अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों वाले अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व में वर्णित किया गया है। हम अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत, एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ-उचयसाथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहित के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा आचार संहित के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वे हमें हमारी राय के लिए आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त हैं।

मामले का जोर

- हम अपने समर्पित और अनुकूलित प्रौद्योगिकी मंच के कार्यान्वयन के उपचार के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची संख्या 18 (36) 'एसआई लागत' की ओर ध्यान आकर्शित करते हैं।

- हम संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची संख्या 18 (34) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो नोवेल कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रकोप के कारण अनिश्चितताओं तथा बैंक के व्यवसाय प्रचालनों के प्रभाव पर प्रबंधन के आकलन का वर्णन करता है।

  इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

- प्रमुख लेखांकन मामले, वे मामले होते हैं जो हमारे पेशेवर न्याय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे उल्लेखनीय थे। इन मामलों पर समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में ध्यान दिया गया और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय उपलब्ध नहीं कराते हैं।

- हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेशित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्रमांक	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1	राजस्वों तथा अन्य संबंधित शेष राशि की मान्यता, माप, प्रस्तुतिकरण तथा प्रकटीकरण की सटीकता	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में डिजाइन का परीक्षण और आंतरिक नियंत्रणों और मूल परीक्षण की प्रचालन प्रभावशीलता शामिल थी जो इस प्रकार है: ▶ बैंक द्वारा अपनाई गई राजस्व मान्यता के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन का मूल्यांकन किया। ▶ राजस्व मद्दों के नमूनों का चयन किया और आंतरिक नियंत्रणों तथा राजस्व मद्दों की पहचान और खाता बहियों में इसके उपचार से संबंधित अंतर्निहित प्रणाली नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। हमने पूछताछ तथा अवलोकन निष्पादन और इन नियंत्रणों के प्रचालन के संबंध में साक्ष्य की जांच सं संबंधित प्रक्रियाओं का एक संयोजन किया। ▶ संगत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के एक्सेस और राजस्व तथा राजस्व की रिकॉर्डिंग और राजस्व के खुलासे में प्रयुक्त संबंधित सूचना से जुड़े परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रणों की जांच की। ▶ राजस्व की गणना करने तथा चर विचार के आकलन के आधार की जांच करने के लिए प्रयुक्त लेनदेन कीमत को सत्यापित करने के लिए किसी चर विचार सहित लेनदेन कीमत को निर्धारित करने के लिए शुल्क की तालिका पर विचार किया।
2	व्ययों तथा अन्य संबंधित शेष राशि की मान्यता, माप, प्रस्तुतिकरण तथा प्रकटीकरण की सटीकता	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में डिजाइन का परीक्षण और आंतरिक नियंत्रणों और मूल परीक्षण की प्रचालन प्रभावशीलता शामिल थी जो इस प्रकार है: ▶ बैंक द्वारा अपनाई गई व्यय मान्यता के कार्यान्वयन से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन का मूल्यांकन किया। ▶ व्यय मद्दों के नमूनों का चयन किया और आंतरिक नियंत्रणों तथा व्यय मद्दों की पहचान और खाता बहियों में इसके उपचार से संबंधित अंतर्निहित प्रणाली नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। हमने पूछताछ तथा अवलोकन निष्पादन और इन नियंत्रणों के प्रचालन के संबंध में साक्ष्य की जांच से संबंधित प्रक्रियाओं का एक संयोजन किया। ▶ संगत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के एक्सेस और राजस्व तथा राजस्व की रिकॉर्डिंग और राजस्व के खुलासे में प्रयुक्त संबंधित सूचना से जुड़े परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रणों की जांच की।
3	वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा नियंत्रण	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में मूल्यांकन और प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों की पहचान और परीक्षण जांच प्रणाली के आधार पर प्रणाली से सृजित रिपोर्ट/रिटर्न और अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय जानकारी के आधार पर आईटी प्रणाली की डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का और अधिक सत्यापन, परीक्षण और समीक्षा करना शामिल हैं। हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं में शामिल थी: ▶ बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण तथा लेखा परीक्षण अवधि के दौरान आईटी नीतियों की समझ प्राप्त की। ▶ उपयोगकर्ता एवं अनुप्रयोग नियंत्रणों, परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रणों तथा डाटा बैक अप से संबंधित आईटी सामान्य नियंत्रणों का परीक्षण किया। ▶ जहां हमने अतिरिक्त स्वतंत्र प्रक्रियाओं के निष्पादन की आवश्यकता की पहचान की, हमने मैनुअल क्षतिपूर्ति नियंत्रण पर निर्भरता जताई जैसे कि प्रणालियों तथा अन्य सूचना स्रोतों के बीच सामंजस्य या अतिरिक्त परीक्षण करना, पर्याप्त तथा उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने नमूना आकार को विस्तारित करना।

4	प्रावधानों का आकलनः प्रोविजनिंग के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है।	**हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल थाः** ▶ हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए, जो इन परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना।

एकल वित्तीय विवरणों एवं लेखा परीक्षक की उन पर रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य सूचना

- बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारियां शामिल हैं, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण एवं उन पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने की आशा है।

  एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार किन्हीं अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करते हैं और उन पर हम किसी भी रूप में आश्वासन अंतिम निष्कर्ष नहीं देंगे।

  एकल उपरलिखित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को, जब वह उपलब्ध हो जाए, पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करना कि क्या अन्य सूचनाएं एकल वित्तीय विवरणों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत हैं अथवा लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी अपनी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्या कथन प्रतीत होती है।

  जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, उसमें कोई महत्वपूर्ण रूप से गलतबयानी है तो हमें अभिशासन प्रभारियों को उस तथ्य की सूचना देना आवश्यक है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा अभिशासन प्रभारियों का उत्तरदायित्व

बैंक का निदेशक मंडल भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, कंपनी (लेखांकन) नियमावली 2014 (यथा संशोधित) के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्टी लेखांकन मानकों और बैंकिंग विनियमन 1949 की धारा 29 के प्रावधानों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किए गए परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों सहित, के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह के संबंध में सही एवं निश्पक्ष दृश्टिकोण प्रदान करने वाले एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित अधिनियम की धारा

- 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम एवं उनकी पहचान के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग, उचित एवं विवकेपूर्ण निर्णय लेना एवं अनुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव शामिल है जो एकल वित्तीय विवरणों, जो सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रृटि के कारण हो, की तैयारी एवं प्रस्तुतिकरण के संबंध में लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से परिचालनरत थे।

- एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने के लिए बैंक की क्षमता का निर्धारण करने, कार्यशील संस्था से संबंधित, यथा लागू, मामलों का प्रकटीकरण करने और कार्यशील संस्था आधारित लेखांकन का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जबतक कि प्रबंधन बैंक को परिनिर्धारित करने या परिचालन को बंद करने का विचार नहीं करता अथवा ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

- बैंक का निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख हेतु भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

- हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों, चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त हैं और लेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट जारी करनी है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा सदैव महत्वपूर्ण मिथ्या कथन, जब ये मौजूद हों, का पता लगायेगी। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं तथा यह तब महत्वपूर्ण माने जाते हैं, यदि अकेले में या समग्र में, ये इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ता द्वारा लिये गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हों।

- लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार, लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यवसायिक निर्णय लेते हैं तथा पूरी लेखापरीक्षा में व्यवसायिक सांश्य बनाये रखते हैं। हम भीः

  - एकल वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों के जोखिमों की पहचान एवं निर्धारण करते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के अनुकूल लेखाप्रक्रियाओं को बनाते हैं तथा निष्पादित करते हैं और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित आधार देते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों का पता नहीं लगाने का जोखिम किसी त्रुटि से होने वाले जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठगांठ, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना शामिल हो सकती है।
  - परिस्थितियों के अनुसार, समुचित लेखाप्रक्रियाओं को बनाने के क्रम में लेखापरीक्षा के अनुकूल आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत, हम बैंक के पास उपलब्ध पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों की प्रणालियों तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावीलता पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।
  - प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
  - प्रबंधन द्वारा कार्यशील संस्था आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, घटना या स्थितियों से संबंधित किसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता की मौजूदगी के विषय में निष्कर्ष प्रदान करना, बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने की क्षमता पर अत्यधिक संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान दिलाने अथवा यदि इसी प्रकार के प्रकटन अपर्याप्त हैं तो अपनी राय संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा के साक्ष्यों पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां बैंक को कार्यशील संस्था बने रहने से रोकने का कारण हो सकती हैं।

  - एकल वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण के साथ प्रस्तुति, संरचना एवं विशय सूची का समग्र मूल्यांकन करना और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों एवं घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं जो एक निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण हो।

- हम अभिशासन के प्रभारितों को, अन्य मामलों के साथ साथ, आंतरिक नियंत्रण में, अन्य महत्वपूर्ण कमियों सहित, लेखापरीक्षा के सुनियोजित दायरे एवं समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों सहित जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं, के संबंध में सूचना देते हैं।

- हम अभिशासन के प्रभारितों को यह भी सूचित करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवयकताओं का अनुपालन किया है तथा उन्हें सभी संबंधों एवं अन्य मामलों को जो हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने के लिए तर्कसंगत माने जा सकते हैं, तथा संबंधित सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, की सूचना देंगे।

- अभिशासन के प्रभारितों को सूचित किए गए मामलों में से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो मौजूदा अवधि की एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे तथा इसलिए ये मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों को वर्णित करते हैं जब तक कि मामलों के बारे में विधि अथवा विनियमन सार्वजनिक प्रकटीकरण मना करते हैं या जब, अत्यंत विरल परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में मामले को सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुश्परिणाम इस प्रकार की सूचना के सार्वजनिक हित के लाभों से बहुत अधिक होंगे।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- तुलन पत्र तथा लाभ हानि खाता (नियमावली) 2014 (यथा संशोधित) के नियम 7 के साथ पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा अधिनियम की धारा 133 के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं किः

- हमने सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को प्राप्त किया है, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्वेय से आवश्यक थे और हमने उन्हें संताषजनक पाया:
- बैंक का लेनदेन, जो हमारे संज्ञान में आया है: बैंक के अधिकारों के भीतर रहा है:
- चूंकि, बैंक के प्रमुख संचालन कोर बैंकिंग प्रणाली में एकीकृत प्रमुख अनुप्रयोगों के साथ स्वचालित होते हैं, लेखा परीक्षा केंद्रीय रूप से की जाती है क्योंकि हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी रिकॉर्ड और डाटा उसमें उपलब्ध हैं।

- अधिनियम की धारा 197 (16) के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामलों के संदर्भ में, हम रिपोर्ट करते हैं कि चूंकि बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार, एक बैंकिंग कंपनी है: क्या बैंक द्वारा प्रदत्त मानदेय, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुरूप है और क्या उपरोक्त धारा के अनुरूप कोई आर्थिक मानदेय दिया गया है, से संबंधित धारा 197 (16) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- जैसाकि अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा अपेक्षित है, हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों एवं उप-निर्देशों पर विचार किया है। हम अपनी रिपोर्ट संलग्न 'अनुलग्नक ए' में देते हैं।
- साथ ही, अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, जहां तक लागू हो, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
  - हमने उन सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों की मांग की तथा प्राप्त किया जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के आधार पर लेखापरीक्षा के उद्वेश्य के लिए आवश्यक थे।
  - हमारे विचारानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियों का रखरखाव बैंक द्वारा किया गया है, जहां तक कि यह हमारे द्वारा उन बहियों के निरीक्षण से प्रकट होता है:
  - इस रिपोर्ट में विचारित एकल वित्तीय विवरण खाता बहियों के साथ तालमेल में है।
  - हमारे विचारानुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखांकन) नियमावली, 2014 के (यथा संशोधित), नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, जिस सीमा तक वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के साथ असंगत नहीं हैं, का अनुपालन करते हैं।
  - निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख पर लिए गए, निर्देशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2022 को निर्देशक नियुक्त किए जाने के अयोग्य नहीं है।
  - हमने बैंक की 31 मार्च, 2022 की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों (आईएफसीओएआर) का भी बैंक की उस तिथि के एकल वित्तीय विवरणों के साथ लेखा परीक्षण किया है और हमारी 30 जून, 2022 की रिपोर्ट के अनुबंध 'बी' में असंशोधित विचार व्यक्त किए गए हैं: और
  - हमारे विचार एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:

    i. बैंक ने 31 मार्च, 2022 को लंबित मुकद्दमों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।
    ii. बैंक ने लागू विधि तथा लेखांकन मानकों के तहत अपेक्षित, महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानियों, यदि कोई है, के लिए व्युत्पन्नी संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर 31 मार्च, 2022 को प्रावधान किया है और
    iii. बैंक द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित करने हेतु आवश्यक राशि के अंतरण में कोई विलंब नहीं किया गया है।

कृते मेहरा गोयल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 000517एन

देविन्दर कुमार अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 087716
यूडीआईएन संख्या:
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 जून, 2022

अनुबंध ''ए''

अनुबंध में बैंक के सदस्यों के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सम दिनांक की एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संदर्भित किया गया।

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सीएंडजी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षण किया है और यह प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी सभी निर्देशों/उप-उचयनिर्देशों का पालन किया है।

कृते मेहरा गोयल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 000517 एन

देविन्दर कुमार अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 087716
यूडीआईएन संख्या:

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 जून, 2022

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देशों के अनुसार वर्ष 2021-2022 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2021-22 के लिए दिशानिर्देश

- **क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जाए।**
  हां, बैंक के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है।

- **क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण वर्तमान ऋण की कोई पुनर्संरचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बतायें। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा-उचयजोखा रखा गया है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।**
  चूंकि यह एक भुगतान बैंक है इसलिए इसे कोई भी अग्रिम देने की अनुमति नहीं है और इसलिए मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन नहीं है या ऋणदाता द्वारा ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को दिए गए ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं हैं।

- **क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसके निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनायें।**
  केंद्र/राज्य एजेन्सियों से विश्‍िष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके निबंधन एवं शर्तो के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था।

कृते मेहरा गोयल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 000517 एन

देविन्दर कुमार अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 087716
यूडीआईएन संख्या:

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 जून, 2022

अनुबंध 'बी'

इस अनुबंध ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सम दिनांक की एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को उद्धृत किया

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

- हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ('बैंक') के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष को और उसके लिए एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ बैंक के इसी तिथि के वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसीओएफआर) का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन तथा अभिशासन प्रभारियों का उत्तरदायित्व

- बैंक का निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में अधिनियम के तहत अपेक्षित बैंक की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता एवं पूर्णता तथा समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की तैयारी के साथ ही समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अभिकल्पना, कार्यान्वयन तथा रखरखाव सम्मिलित हैं जो इसके व्यवसाय का क्रमबद्ध एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावाली रूप से परिचालित थे।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

- हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में विचार व्यक्त करना है। हमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट तथा अधिनियम की धारा, 143 (10) के अंतर्गत वर्णित लेखापरीक्षा के मानकों, आईएफसीओएफआर लेखापरीक्षा की सीमा तक लागू, के अनुसार लेखापरीक्षा की है। अब मानकों एवं मार्गदर्शक नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या आईएफसीओएफआर स्थापित किए और बनाये गए और क्या इन नियंत्रणों ने सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावशाली परिचालन किया, लेखापरीक्षा की योजना बनायें एवं निष्पादित करें।

- हमारी लेखापरीक्षा में आईएफसीओएफआर की उपयुक्तता तथा उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। आईएफसीओएफआर की हमारी लेखापरीक्षा में आईएफसीओएफआर की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमी मौजूद है तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय के साथ ही वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथनों, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, के जोखिम आकलन पर निर्भर करती है।

- हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह बैंक की आईएफसीओएफआर प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा विचार के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करता है।

- किसी बैंक का आईएफसीओएफआर, वित्तीय रिपोर्टिंग की विवसनीयता तथा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। एक बैंक के आईएफसीओएफआर में उन नीतियों एवं प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो (1) उचित विवरण, सटीक तथा निष्पक्ष रूप से बैंक के संव्यवहार और आस्तियों के निपटान को प्रतिबिंबित करने वाले रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित होती हैं, (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया है तथा बैंक की प्राप्तियां एवं व्यय केवल बैंक के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकृतियों के अनुसार किए जा रहे हैं: तथा (3) बैंक की आस्तियो के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग एवं निपटान जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

- सांठ-गांठ की संभावना अथवा नियंत्रणों के उल्लंघन को अनुचित प्रबंधन सहित, आईएफसीओएफआर की अंतर्निहित सीमाओं के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हो सकते हैं और इसका पता भी नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, आईएफसीओएफआर के भविष्य के लिए पूर्वानुमानों का मूल्यांकन इस जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण आई आईएफसीओएफआर अपर्याप्त हो जाए अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट आए।

राय

- हमारी राय में, बैंक के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली हैं तथा 31 मार्च, 2022 तक ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावाली रूप से परिचालित थे, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में बताये गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित हैं।

कृते मेहरा गोयल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 000517 एन
देविन्दर कुमार अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 087716
यूडीआईएन संख्या:

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 जून, 2022

27 जुलाई, 2022
निदेशक मंडल
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड
स्पीड पोस्ट सेंटर, गोल मार्केट
नई दिल्ली

विषयः इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड के मामले में सीएजी द्वारा जारी निर्देशों पर अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने 30 जून, 2022 की अपनी स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट पहले ही जारी कर दी है। इसके अतिरिक्त, सीएजी द्वारा निर्देशित, उनके विशिष्ट निर्देशों को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा रिपोर्ट का एक परिशिष्ट, जिन्हें अब निम्नानुसार शामिल किया गया हैः

''**अन्य कानूनी एवं नियामकीय आवयकताओं पर रिपोर्ट**'' पैराग्राफ में बिन्दु संख्या 21 (जी) में नए बिन्दु समावेशित किए जाएंगे जो निम्नानुसार पठित होंगेः

21 (जी) (iv) (i) प्रबंधन ने अभ्यावेदन किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किए गए के अतिरिक्त, कोई भी फंड बैंक द्वारा विद्ेशी निकायों (मध्यस्थ) सहित किसी भी व्यक्ति को या निकाय को अग्रिम या ऋण नहीं दिया गया है या निवेश (या तो उधार ली गई धन राशि से या शोयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या फंडों के प्रकार से) नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया हो या अन्यथा, कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप से पहचाने गए व्यक्तियों या निकायों को बैंक (''अंतिम लाभार्थियों'') द्वारा या उसकी ओर से इसी प्रकार की कोई गारंटी, सुरक्षा या अंतिम लाभार्थियों की तरफ से उधार देगा या निवेश करेगा।

प्रबंधन ने अभ्यावेदन किया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किए गए के अतिरिक्त, कोई भी फंड बैंक द्वारा किसी व्यक्ति या निकाय, विदेशी निकायों सहित किसी भी व्यक्ति से या निकाय से अग्रिम या ऋण के रूप में या निवेश (या तो उधार ली गई धन राशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या फंडों के प्रकार से) प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया हो या अन्यथा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप से पहचाने गए व्यक्तियों या निकायों को फंडिंग पार्टी (''अंतिम लाभार्थियों'') द्वारा या उसकी या अंतिम लाभार्थियों की तरफ से इसी प्रकार की कोई गारंटी, सुरक्षा या इस प्रकार का कुछ प्रदान करेगा।

इस प्रकार की लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में जिन्हें ऐसी परिस्थितियों में उचित एवं उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (i) एवं (ii) के तहत अभ्यावेदनों में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल है। और 21 (जी) (v) बैंक ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है। तद्नुसार, अधिनियम की धारा 123 का अनुपालन लेखा परीक्षा के अधीन वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते मेहरा गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण संख्याः 000517एन

देविन्दर कुमार अग्रवाल
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 087716

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 जुलाई, 2022

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड
तुलन पत्र 31.03.2022 तक

(रूपयो मे 000)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.03.2022 तक	31.03.2021 तक
पूंजी	1	14550000	12550000
रिजर्व एवं अधिशेष	2	-9819377	-8103856
जमाए	3	36917218	22996851
उधारी	4	-	169964
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	5	3363240	3004437
	योग	**45011081**	**30617396**
परिसंपत्तियां			
भारतीय रिजर्व बैंकके पास नकदी एवं शेष राषि	6	2672807	1074128
बैंकों के पास धन तथा कॉल एवं शौर्ट नोटिस पर मनी	7	9730653	6074544
निवेश	8	29008863	19090898
अग्रिम	9	15620	0
स्थायी परिसंपत्ति	10	788712	1577433
अन्य परिसंपत्तियां	11	2794426	2800393
	कुल	**45011081**	**30617396**
आकस्मिक देयताएं	12	2500	2500
संग्रह के लिए बिल		-	-

हस्ता/–
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
(अनूप ई एस)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
(जे वेंकटरामू)
एमडी एवं सीईओ (डीआईएन 08918442)

हस्ता/–
(पवन कुमार सिंह)
निदेशक (डीआईएन 09434830)

हस्ता/–
(विनीत पांडेय)
अध्यक्ष (डीआईएन 09199133)

सम दिनांक की हमारी रिपोर्टके अनुसार

कृते मेहरा गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार एफआरएन नंबर 000517एन

हस्ता/–
(देवेंदर कुमार अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 087716

दिनांक: 30.06.2022
स्थान नई दिल्ली

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड
तुलन पत्र 31.03.2022 तक

(रूपयो मे 000)

	अनुसूची	वर्ष समाप्त 31.03.2022	वर्ष समाप्त 31.03.2021
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	1284559	804430
अन्य आय	14	3327482	1326009
	योग	**4612041**	**2130439**
II. व्यय			
ब्याज व्यय	15	711243	459081
परिचालन व्यय	16	5595450	4940231
प्रावधान व आकस्मिकताएं व्यय		-98479	-63434
	योग	**6208214**	**5335878**
असाधारण मदे		-	-
पूर्व अवधि व्यय			
निवल लाभ/निवल हानि		**-1596173**	**-3205439**
लाभ हानि खाते में शेष राशि (आगे ले जाया गया)		**-8228758**	**-5008955**
विनोयोजन के लिए उपलब्ध लाभ		**-9824931**	**-8214394**
विनोयन			
आरक्षित निधियों (निवल) को अंतरित:			
सांविधिक आरक्षित निधि		-	-
अनुदान खाता - पूंजी आरक्षित निधि		2466	14364
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि		-	-
अन्य आरक्षित निधियां		-	-
विशेष आरक्षित निधि		-	-
तुलन पत्र में जाइ गइ राशि		-9827397	-8228758
	योग	**-9824931**	**-8214394**

हस्ता/–
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
(अनूप ई एस)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
(जे वेंकटरामू)
एमडी एवं सीईओ (डीआईएन 08918442)

हस्ता/–
(पवन कुमार सिंह)
निदेशक (डीआईएन 09434830)

हस्ता/–
(विनीत पांडेय)
अध्यक्ष (डीआईएन 09199133)

सम दिनांक की हमारी रिपोर्टके अनुसार
कृते मेहरा गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार एफआरएन नंबर 000517एन

हस्ता/–
(देवेंदर कुमार अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता संख्या 087716

दिनांक 30.06.2022
स्थान नई दिल्ली

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

अनुसूची 1- पूंजी

(रुपयों में 000)

	वर्ष 31.03.2022 तक	वर्ष 31.03.2021 तक
प्राधिकृत पूंजी		
185,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक का मूल्य रु- 10	18550000	12550000
निर्गत एवं अभिदत्त		
145,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक का मूल्य रु- 10		
	14550000	12550000
प्रदत्त पूंजी	14550000	12550000
145,50,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक का मूल्य रु- 10		
योग	**14550000**	**12550000**

I. अनुसूची 2 और आरक्षित निधियां एवं अधिशेष

	वर्ष 31.03.2022 तक		वर्ष 31.03.2021 तक	
I. सांविधिक आरक्षित निधि				
प्रारम्भिक शेष	5554		5554	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		5554		5554
	-		-	
	-		-	
	-		-	
		-		-
II. आरक्षित पूंजी निधि				
अ पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि				
प्रारम्भिक शेष	119348		393518	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2466		14364	
वर्ष के दौरान कटौती	119348		288534	
ब अन्य अनुदान खाता				
प्रारम्भिक शेष				
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
वर्ष के दौरान कटौती				
		2466		119348
III. राजस्व तथा अन्य आरक्षित				
अ - निवेश आरक्षित निधि				
प्रारम्भिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटायें % लाभ एवं हानि खाता को अंतरण	-		-	
		-		-
ब -अन्य आरक्षित निधियां				
प्रारम्भिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
		-		-
स - विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि				
प्रारम्भिक शेष	-		-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन (निवल)	-		-	
घटायें :वर्ष के दौरान निकासी (निवल)	-		-	
		-		-
IV शेयर प्रीमियम				
प्रारम्भिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
		-		-
V विशेष आरक्षित निधि				
प्रारम्भिक शेष	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
		-		-
VI. लाभ एवं हानि खाता में उपलब्ध शेष		-9827397		-8228758
I,II,,III,IV,V,VI का योग		**-9819377**		**8103856**

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(रुपयों में 000)

अनुसूची 3 & जमा राशियां

		31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को
अ. I मांग जमा राशियां				
i बैंकों से	-		-	
ii अन्य से	218331		171515	
		218331		171515
II. बचत बैंक जमाराशियां		36698887		22825336
III. मीयादी जमा राशियां				
(i) बैंकों से	-		-	
(ii) अन्य से	-		-	
		-		-
I, II, III का योग		**36917218**		**22996851**
ब. (i) भारत में स्थित शाखाओं की जमा राशियां		36917218		22996851
(ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमा राशियां		-		-
I, II का योग		**36917218**		**22996851**

अनुसूची 4 - उधार ली गई राशियां

	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
I. भारत में उधार ली गई राशियां		
(i) भारतीय रिजर्व बैंक	-	-
(ii) अन्य बैंक	-	-
(iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	-	169964
II. भारत से बाहर उधार ली गई राशियां	-	-
I, II का योग	**-**	169964
उपरोक्त I व II जमानती उधार राशियों सहित	-	-

अनुसूची 5 -अन्य देयताएं एवं प्रावधान

	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
I. देय बिल	-	-
II. अन्तर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
III. उपचित ब्याज	-	12
IV. अन्य (प्रावधानों सहित)	3363240	3004425
I, II, III, & IV का योग	**3363240**	**3004437**

अनुसूची 6 - भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष

		31 मार्च 2022 को		31 मार्च 2021 को
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)		-		-
II भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि				
(i) चालू खाते में	1742807		854128	
(ii) अन्य खातों में	930000		220000	
		2672807		1074128
I, II का योग		**2672807**		**1074128**

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(रुपयों में 000)

अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष राशि एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

		वर्ष 31.03.2022 तक		वर्ष 31.03.2021 तक
I. भारत में				
(i) बैंकों के पास शेष राशि %				
(ए) चालू खातों में	15653		37544	
(बी) अन्य जमा खातों में	9715000		6037000	
		9730653		6074544
(ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि %				
(ए) बैंकों के पास	-		-	
(बी) अन्य संस्थानों के पास	-		-	
		-		-
योग (i एवं ii)		9730653		6074544
II. भारत से बाहर				
(i) चालू खातों में	-		-	
(ii) अन्य जमा खातों में	-		-	
(iii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	-		-	
योग		-		-
		9730653		**6074544**

अनुसूची 8 - निवेश

I. भारत में निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	29001161	19083196
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
(iii) शेयर	7702	7702
(iv) डिबेंचर तथा बाँड	-	-
(v) सहयोगी @सहायक संस्थाओं में निवेश	-	-
(vi) अन्य (विविध म्युचुअल फंड एवं वाणिज्यिक पत्र इत्यादि)	-	-
I का योग	29008863	19090898
II. भारत से बाहर निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(ii) सहयोगी सहायक संस्थाओं में निवेश	-	-
(iii) अन्य निवेश	-	-
II का योग	-	-
I व II का कुल योग	**29008863**	**19090898**

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(रुपयों में 000)

अनुसूची 9 अग्रिम	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
ए- i) खरीदे और भुनाए गए बिल	-	-
ii) नकदी ऋण ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	-	-
iii) मीयादी ऋण	15620	-
योग	15620	-
बी- i मूर्त आस्तियों द्वारा संरक्षित (बही ऋणों पर अग्रिमों सहित)	-	-
ii) बैंक सरकारी गारंटी द्वारा रक्षित	-	-
iii) अरक्षित	15620	-
योग	15620	-
सी. (I) भारत में अग्रिम		
पद्ध प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	-	-
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	-	-
iii) बैंक	-	-
iv) अन्य	15620	-
योग	15620	-
सी. (II) भारत से बाहर अग्रिम		
(I) बैंको से प्राप्त	-	-
(II) अन्य से प्राप्त		
(अ) खरीद और भुलाये गये बिल	-	-
(ब) मियादी ऋण	-	-
(स) अन्य	-	-
	-	-
सी (I) व सी (II) का कुल योग	**15620**	**-**

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड

(रूपयो मे 000)

अनुसूची- 10 अचल आस्तियां		वर्ष 31.03.2022 तक		वर्ष 31.03.2021 तक
I. परिसर (भूमि सहित)				
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर	-		-	
-वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटायें % वर्ष के दौरान कटौतियां	-		-	
घटायें% आज तक मूल्यहास	-		-	
		-		-
II अन्य अचल आंस्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित)				
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर	1424242		1369242	
- वर्ष के दौरान परिवर्धन	17463		56340	
घटायें % वर्ष के दौरान कटौतियां	1413		1340	
घटायें% आज तक मूल्यहास	735566		512927	
	704726		**911315**	
III. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर				
पिछले वर्ष की 31 मार्च को लागत पर	1778733		1637549	
- पिछले वर्ष अवधि के दौरान परिवर्धन	48		141184	
- वर्ष अवधि के दौरान कटौतियां	0		-	
घटायें % आज तक परिशोधित	1694795		1112615	
		83986		**666118**
I, II, III का योग		**788712**		**1577433**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां	वर्ष 31.03.2022 तक	वर्ष 31.03.2021 तक
I. अंतः– कार्यालय समयोजन (निवल)	-	-
II. उपचित ब्याज	219951	161165
iii. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर @ स्रोत पर कर की कटौती (प्रावधानों का निवल)	11109	34622
iv स्टेशनरी एवं स्टैम्प्स	-	-
v. दावों की संतुष्टि हेतु उपार्जित गैर-बैंकिंग आस्तिया	-	-
VI आस्थगित कर आस्ति (निवल)	1866599	1768120
VII. प्रतिभूति जमाराशियां	41079	33419
VIII डाक विभाग की पूंजी प्रतिबद्धता	2043	2384
IX अन्य	653645	800683
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII का योग	**2794426**	**2800393**

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं	वर्ष 31.03.2022 तक	वर्ष 31.03.2021 तक
I- बैंक के विरूद्ध दावे जिन्हें देनदारी नहीं माना गया	-	-
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	-	-
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	-	-
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां		
(ए) भारत में	-	-
(बी) भारत से बाहर	-	-
V. स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व आकस्मिक देयता है	-	-
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता है	2500	2500
I, II, III, IV, V, VI का योग	**2500**	**2500**

खातों की अनुसूचियां इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड

(रूपयो मे 000)

अनुसूची- 13 अर्जित ब्याज और लाभांश	**समाप्त वर्ष 31.03.2022**	**समाप्त वर्ष 31.03.2021**
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	335	-
II. निवेशों पर आय	876000	516413
III. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर-बैंक के पास शेष राशियों पर ब्याज	405902	286044
IV.अन्य	2322	1973
I, II, III, IV का योग	**1284559**	**804430**

अनुसूची 14 - अन्य आय

I. कमीशन] विनिमय व दलाली		3304665		1298820
ii निवेशों के विक्रय पर लाभ	10253		18517	
घटायें : निवेशों के विक्रय पर हानि	1294	8959	2721	15796
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	1968		1091	
	-	1968	1968	-877
IV. भूमि, इमारतों, तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	-		-	
घटायें % भूमि] इमारतों] तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि	-	-	-	-
विनिमय लेन-देन पर लाभ	-		-	
विनिमय लेन-देन पर हानि	-	-	-	-
V सबसिडियरियों/कंपनियों और / या विदेश/भारत में संयुक्त उद्यमों उधयमो से लाभाष के जरिए आय		-		-
VI भर्ती सम्बंधित आय		567		-
VIIi. पृथक्करण पर कर्मचारियों से वसूली		10373		12009
ix. विविध आय		950		261
I, II, III, IV, V, VI, VII का योग		**3327482**		**1326009**

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लिमिटेड)

(रुपयों में 000)

अनुसूची 15 - खर्च किया गया ब्याज	समाप्त वर्ष 31.03.2022	समाप्त वर्ष 31.03.2021
I. जमा राशियों पर ब्याज	710192	457957
II. भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज	1051	1124
III. अन्य	-	-
I, II, III का योग	**711243**	**459081**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
I. कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	2963483	2832260
II. किरायाए कर एवं बिजली	4370	3882
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	9412	20565
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	3572	50963
V. अचल सम्पत्तियों पर मूल्यहास	806129	624091
VI. निदेशकों के शुल्कए भत्ता तथा व्यय	320	740
VII. लेखापरीक्षकों का शुल्क तथा व्यय	1424	505
VIII. विधि प्रभार	309	542
IX. डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि	329310	142144
X. मरम्मत एवं खरखाव	6705	3177
XI. बीमा	63309	27355
XII.व्यवसायिक शुल्क	14030	14306
XIII. जीएसटी व्यय	119095	79945
XIV. एसआई लागत	226275	777800
XV. भर्ती व्यय	1617	687
XVI. प्रशिक्षण व्यय	24388	943
XVII. आउटसोर्सिंग व्यय	96551	62040
XVIII. यात्रा एवं वाहन व्यय	19712	37783
XIX. डाक विभाग को प्रदत्त कमीशन / डाक विभाग स्टाफ की प्रोत्साहन राशि	514336	120925
XX. भुगतान किया गया लेनदेन संबंधी शुल्क	361911	115944
XII. अन्य व्यय	29192	23634
I से XXI तक का योग	**5595450**	**4940231**

नकदी प्रवाह विवरण

(रूपयो मे 000)

विवरण			(2021-22)		(2020-21)
ए. प्रचालनों से नकदी प्रवाह					
i) करोपरांत निवल लाभ			-1596173		-3205439
जोड़ें : कर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)			-98479		-62558
कर पूर्व लाभ	i)		-1694652		-3267997
ii) समायोजन:					
स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास			806129		624091
निगमन व्यय बट्टे खाते में डाला गया			-		-
पूर्व अवधि का मद बट्टे खाते में डाला गया			-		-
घटा : अनुदान से उपयोग की गई भुद्ध राशि			119348		288534
कुल समायोजन	ii)		686781		335557
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयताओं में बदलाव से पूर्व परिचालन लाभ	(i)+(ii)		-1007871		-2932440
iii) परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में भुद्ध परिवर्तन के लिए समायोजन					
निवेश में कमी / (वृद्धि) (निवल)			-9917965		-12148405
अन्य परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि) (निवल)			104446		-105425
अग्रिमों में कमी / (वृद्धि)			-15620		-
जमाओं में कमी / (वृद्धि) (निवल)			13920367		14446539
उधारियों में कमी / (वृद्धि) (निवल)			-169964		169964
अन्य देयताओं में कमी / (वृद्धि) (निवल)			358803		842198
परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में भुद्ध परिवर्तन के लिए कुल समायोजन	(iii)		4280068		3204870
प्रचालनों से नकदी प्रवाह (i)+(ii)+(iii)			3272197		272431
भुगतान किया गया कर			-		-
प्रचालनों से प्रयुक्त शुद्ध नकदी प्रवाह	A		3272197		272431
बी. निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह					
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद			-17408		-197007
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी प्रवाह	B		-17408		-197007
सी. वित्तपोशण गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह					
शेयर पूंजी का इशयू			2000000		2200000
वित्तपोशण गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी	C		2000000		2200000
नकदी एवं नकदी समरुपों में भुद्ध बदलाव (A)+(B)+(C)	**D**		**5254788**		**2275424**
वर्श के आरंभ में नकदी एवं नकदी समरुप					
आरबीआई के पास नकदी एवं शेष राशि		854128		326957	
मांग एवं अल्प अवधि पर बैंक के पास बैलेंस एवं धन		6294544		4546292	
			7148672		4873248
वर्श के अंत में नकदी एवं नकदी सगरुप					
आरबीआई के पास नकदी एवं शेष राशि		2672807		854128	
मांग एवं अल्प अवधि पर बैंक के पास बैलेंस एवं धन		9730653		6294544	
			12403460		7148672
			5254788		**2275424**

हस्ता/–
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव

हस्ता/–
(अनूप ई एस)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता/–
(जे वेंकटरामू)
एमडी एवं सीईओ (डीआईएन 08918442)

हस्ता/–
(पवन कुमार सिंह)
निदेशक (डीआईएन 09434830)

हस्ता/–
(विनीत पांडेय)
अध्यक्ष (डीआईएन09199133)

सम दिनांक की हमारी रिपोर्टके अनुसार
कृते मेहरा गोयल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार एफआरएन नंबर 000517एन

हस्ता/–
(देवेंदर कुमार अग्रवाल)
पाटनर (सदस्यता संख्या 087716)

दिनांक: 30.06.2022
स्थान नई दिल्ली

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

पृष्ठभूमि एवं प्रचालनों की प्रकृति

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना भारत सरकार के स्वामित्व वाले 100 प्रतित की इक्विटी के साथ संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत की गई थी। आईपीपीबी का मौलिक अधिदेश भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनना है जो बिना बैंक सुविधा लोगों की बाधाओं को दूर करता है तथा कम बैंकिंग सुविधा वाले लोगों के लिए अवसर लागत को कम करता है और ऐसा करने के जरिये मुख्य रूप से नकद अर्थव्यवस्था में कैशलेस लेनदेन के अभिग्रहण को बढ़ावा देता है।

बैंक को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 17 अगस्त 2016 को शामिल किया गया था। बैंक ने 20 जनवरी, 2017 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत भुगतान बैंक लाइसेंस प्राप्त किया। आईपीपीबी को 30 जनवरी 2017 को रांची (झारखंड) तथा रायपुर (छत्तीसगढ़) में एक पायलट परियोजना के रूप में लांच किया गया था। आईपीपीबी ने 650 आईपीपीबी शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से डाकघरों को कवर करते हुए पूरे भारत में अपनी संख्या का विस्तार किया है।

बैंक ग्रामीण, निर्धन और वंचित तथा असेवित वर्ग को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने में सहायता करने के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। बैंक चालू और बचत खाते, प्रेषण, व्यवसाय कॉरेसपौंडेंट, द्वार तक बैंकिंग, नागरिक केंद्रित सेवाएं, मोबाइल बैंकिंग, एईपीएस, बिल भुगतान और तृतीय पक्ष उत्पाद वितरण जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

चूंकि पेमेंट्स बैंक अपने कर्मचारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं दे सकता है, तदनुसार अग्रिमों से संबंधित सभी प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं। बैंक को दिनांक 27 मई, 2019 की अधिसूचना संख्या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में अधिसूचना डीबीआर एनबीडी (पीबी-आईपीपीबी) संख्या 9980/16.13.215/2018-19 के द्वारा शामिल किया गया है तथा दिनांक 22-28 जून, 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित किया गया है।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में हजारों ('000 रुपये में') में प्रस्तुत किया जाता है।

तैयारी का आधार:

वित्तीय विवरण कार्यशील संस्थाओं की अवधारणा का अनुसरण करते हुए ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं और सभी भौतिक पहलुओं में, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें लागू सांविधिक प्रावधानों, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुशंसित नियामकीय दिशानिर्देशों, कंपनी (लेखांकन) नियमावली, 2014 के पैराग्राफ 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत जारी अनुसूचित लेखा मानक (एएस) और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं को शामिल किया गया है।

वित्तीय विवरणों को लेखांकन या संग्रहण की अवधारणा के साथ कार्यशील संस्थाओं के आधार पर तैयार किया गया है और जब तक कि अन्य कोई बात न हो, उसका पालन लेखांकन की नीतियों और चलन के अनुसार लगातार पालन किया जाता है।

प्राक्कलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार आस्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई मात्रा और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय में आकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन मानता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

राजस्व मान्यता

- ब्याज आय को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है। रियायती इंस्ट्रूमेंट यानी लिखत पर ब्याज आय को लिखत की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है।
- कमीशन आय और सेवा शुल्क सेवाओं के प्रावधान पूरे होने पर मान्यता प्राप्त है। राजस्व की पहचान तब की जाती है जब वसूली का उचित अधिकार स्थापित हो जाता है और जब विचार की प्राप्ति के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं है।
- अन्य सभी आय का लेखांकन प्राप्ति आधार पर किया जाता है।
- ब्याज और प्रचालनगत व्यय का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

निवेश

वर्गीकरण

निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी निवेशों को इसकी खरीद के समय ''व्यापार के लिए धारित'' (एचटीएफ), ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' (एएफएस) तथा ''परिपक्वता तक धारित'' (एचटीएम) में वर्गीकृत किया गया है। निवेशों को आगे छह समूहों (क) सरकारी प्रतिभूतियां (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (ग) शेयरों (घ) डिबेंचर एवं बौंडों (च) सहायक कंपनी संयुक्त उद्यम निवेशों (छ) तुलन पत्र प्रकटीकरण के उद्देश्य से अन्य निवेशों में वर्गीकृत किया गया है।

वर्गीकरण का आधार

जो प्रतिभूतियां मुख्य रूप से खरीद की तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय के लिए होती हैं, उन्हें एचटीएफ श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है, बैंक जिस निवेश को परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है, उन्हें एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है, जिन निवेशों को उपरोक्त श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें एएफएस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

बैंक इक्विटी शेयरों के मामले को छोड़कर जहां व्यापार तिथि लेखांकन का अनुपालन किया जाता है, प्रतिभूतियों की खरीद तथा बिक्री लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए 'निपटान दिवस' लेखांकन का अनुसरण करता है।

अधिग्रहण लागत

ए. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के संबंध में भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) आदि को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है तथा लागत से बाहर रखा जाता है।

बी. विक्रेता को भुगतान की गई खंडित अवधि के ब्याज को लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत नहीं किया गया और सरकारी प्रतिभूतियों तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों के संबंध में लाभ हानि खाता के तहत व्यय के एक मद के रूप में माना गया।

सी. निवेश की सभी श्रेणियों के लिए भारित औसत लागत पद्धति पर लागत का निर्धारण किया जाता है।

मूल्यांकन

एएफएस तथा एचएफटी श्रेणियों के तहत वर्गीकृत निवेश आरबीआई/एफबीआईएल दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के हिसाब से हैं।

ट्रेजरी बिल रियायती लिखत होने के कारण वहन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेश उनकी अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं और बाजार के लिए चिन्हित नहीं होते हैं।

इक्विटी शेयर बाजार मूल्य पर, यदि उद्धृत किया जाता है, अन्यथा उपलब्ध नवीनतम बैलेंस शीट के अनुसार शेयरों के ब्रेक अप मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

बुक वैल्यू की तुलना में मूल्य में शुद्ध ह्रास, यदि तुलन पत्र वर्गीकरण के अनुसार छह समूहों में कोई है, तो लाभ हानि खाते में लगाया जाता है। शुद्ध मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो अनदेखा कर दिया जाता है।

रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेन

आरबीआईके दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो तथा रिवर्स रेपो लेनदेन क्रमाः उधार तथा उधार लेनदेन के रूप में परिलक्षित होते हैं। रेपो लेनदेन पर उधार लेने की लागत को ब्याज व्यय के रूप में लेखांकन किया जाता है तथा रिवर्स रेपो लेनदेन पर राजस्व को ब्याज आय क रूप में लेखांकन किया जाता है।

निवेश का निपटान

किसी भी श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है, लेकिन ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ के मामले में, एक समान राशि (करों और सांविधिक रिजर्व को हस्तांतरित किए जाने के लिए आवश्यक राशि का निवल) ''पूंजीगत रिजर्व खाते'' के लिए विनियोजित है।

अचल परिसंपत्तियां

- अचल संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटाकर संचित मूल्यह्रास/परिशोधन, जहां कहीं लागू हो, पर बताया गया है।
- सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है और अचल संपत्ति अनुसूची में अमूर्त संपत्ति (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) के तहत जोड़ा जाता है।
- लागत में खरीद की लागत और साइट की तैयारी, संस्थापना लागत और पूंजीकरण के समय तक परिसंपत्ति पर किए गए पेशेवर शुल्क जैसे सभी व्यय शामिल हैं। परिसंपत्तियों पर किए गए बाद के व्यय/व्यय को पूंजीकृत किया जाता है, जब यह ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभों को बढ़ाता है।

मूल्यह्रास

ए. चूंकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की कोई दर निर्धारित नहीं की गई है, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों का पालन आईपीपीबी द्वारा किया जाता है।

संपत्ति	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची II के तहत निर्दिष्ट अनुमानित उपयोगी जीवन
स्वामित्व वाले परिसर	60 वर्ष
कंप्यूटर (मोबाइल फोन, बायोमीट्रिक डिवाइसेज तथा सॉफ्टवेयर)	3 वर्ष
सर्वर, राउटर, नेटवर्क और संबंधित आईटी उपकरण	6 वर्ष
स्वचालित टेलर मशीनें ('एटीएम')	15 वर्ष
विद्युत उपकरण	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
फर्नीचर और फिटिंग्स	10 वर्ष
मोटर वाहन	8 वर्ष

कर्मचारी लाभ

नियमित कर्मचारियों को समूह चिकित्सा बीमा, समूह सावधि बीमा तथा समूह दुर्घटना बीमा योजनाओं में शामिल किया जाता है।

टर्मिनल लाभ

i) भविष्य निधिः 30.09.2018 तक कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत आते हैं।

ii) नई पेंशन योजना (एनपीएस): सभी पात्र कर्मचारी जो 01.10.2018 को शामिल हुए हैं, परिभाषित अंशदायी पेंान योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, बैंक मूल वेतन के 10 प्रतिशत और महंगाई भत्ता जिसे 11.11.2020 से बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दिया गया है, का योगदान देता है। उसके व्यय को लाभ और हानि के खाते में प्रभारित किया जाता है और उसके बाद बैंक की इस खाते में निधि में योगदान से अधिक देयता नहीं रहती।

iii) ग्रेच्युटीः बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर राशि के लिए लाभ सेवानिवृत्ति पर, रोजगार के दौरान मृत्यु पर, या त्याग पत्र पर या रोजगार की समाप्ति पर निहित कर्मचारियों को एकमुश्त भुगतान के रूप में है जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार अधिकतम निर्धारित के अध्यधीन है। पांच साल की सेवा पूरी होने पर वेस्टिंग होती है।

आय पर कर

आयकर व्यय बैंक द्वारा किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। वर्तमान कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार क्रमशः किया जाता है।

आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देनदारियों में परिवर्तन शामिल हैं। आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को चालू वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखा आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव पर विचार करके और हानियों को आगे बढ़ाने के द्वारा पहचाना जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बैलेंस शीट की तारीख में अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मान्यता दी जाती है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रबंधन के निर्णय के आधार पर होता है कि क्या उनकी वसूली को यथोचित/वस्तुतः निश्चित माना जाता है।

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी एएस 29, ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति'' के अनुरूप, बैंक केवल प्रावधानों को मान्यता देता है, जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है, और इसके परिणामस्वरूप एक दायित्वों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और जब दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन

अधिदेश के अनुसार, एटीएम/माइक्रो-एटीएम/पीओएस के प्रावधान के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और कैश आउट सुविधाए उपलब्ध कराने, गांव के डाकघरों के क्षमता निर्माण, गांव के डाकघरों में नकदी प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने तथा वित्तीय साक्षरता शिविरों का संचालन करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकीयों के समाधान के लिए सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया है। बोर्ड ने 17 जुलाई, 2017 के प्रस्ताव के संदर्भ में अनुदान के उपयोग के लिए व्यापक दिशानिर्देशों और पैटर्न को मंजूरी दी। तदनुसार, प्राप्त अनुदान को शेयरधारकों की निधि तथा पूंजी भंडार में जमा के रूप में माना गया है। इस प्रकार, बैंक सरकारी अनुदानों पर एएस-12 के अनुसार, पूंजी दृष्टिकोण पद्धति अपना रहा है। अनुदान का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है।

परिसंपत्तियों की हानि

जब भी घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है तो परिसंपत्तियों की अग्रणी मात्रा की समीक्षा की जाती है। जब भी किसी आस्ति की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है तो हानि की क्षति को स्वीकार किया जाता है।

हानि के बाद, इसके शेष उपयोगी जीवन पर परिसंपत्ति की संशोधित वहन राशि पर मूल्य ह्रास प्रदान किया जाता है। हानि की क्षति को केवल उस सीमा तक उलट दिया जाता है कि परिसंपत्ति की वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती अगर कोई हानि क्षति की पहले से पहचान नहीं की गई होती।

अनुसूची-18

लेखों पर टिप्पणियां

1. नियामकीय पूंजी

ए. नियामकीय पूंजी की संरचना

(राशि रूपये में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i.	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी *	2777572	1892558
ii.	अतिरिक्त इक्विटी टियर 1 पूंजी/अन्य टियर 1 पूंजी	-	-
iii.	टियर 1 पूंजी (i + ii)	2777572	1892558
iv.	टियर 2 पूंजी	-	-
v.	कुल पूंजी (Tier 1+Tier 2)	2777572	1892558
vi	कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां (आरडब्ल्यूए)	6802951	5235922
vii.	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1/ आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में प्रदत्त शेयर पूंजी एवं रिजर्व	40.83	36.15
viii.	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी	40.83	36.15
ix	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी	-	-
x	कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रति पूंजी (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी	40.83	36.15
xi	लेवेरेज अनुपात	14.50	13.83
xii	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	100.00%	100.00%
xiii.	वर्ष के दौरान जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	2000000	2200000
xiv.	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि जिसमें से स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) स्थायी ऋण लिखतें (पीडीआई)	शून्य शून्य	शून्य शून्य
xv.	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 2 पूंजी की राशि जिसमें से: ऋण पूंजी इंस्ट्रूमेंट: अधिमान शेयर पूंजी इंस्ट्रूमेंट: (स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)/प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)	शून्य शून्य	शून्य शून्य

* अनुदान की कटौती के बाद, आस्थगित कर आस्तियां तथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर

बी. रिजर्व से ड्राडाउन

प्राप्त अनुदान को शेयरधारकों की निधि के रूप में माना गया है और इसे पूंजी भंडार में जमा किया गया है। अनुदान का उपयोग निम्नानुसार किया जाता है:

(राशि 000 में)

क्र. संख्या	अनुदान का शुद्ध उपयोग	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
1.	एटीएम/ माइक्रो एटीएम/पीओएस का प्रावधान	शुन्य	शुन्य
2.	नकदी उपलब्ध कराने की सुविधाओं, गांव के डाकघरों के क्षमता निर्माण को पूरा करने, गांव के डाकघरों में नकदी प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत बनाने और वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराने के लिए उभरती प्रौद्योगिकीयां	104984	263811
3.	प्रौद्योगिकी लागत	शुन्य	शुन्य
	कुल	104984	263811

2. निवेश

ए) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

31 मार्च 2022 तक (राशि 000 ₹ में)

विवरण	भारत में निवेश							भारत से बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य मंजूर प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर और बौंड	सबसिडियरीज और/ या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	सबसिडियरीज और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत से बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल	102914	0	0	0	0	0	102914	0	0	0	0	102914
गैर निष्पादन निवेशों के लिए कम प्रावधान (एनपीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल	102914	0	0	0	0	0	102914	0	0	0	0	102914
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	28898247	0	7702	0	0	0	28905949	0	0	0	0	28905949
अवमूल्यन और एनपीआई के लिए कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल	28898247	0	7702	0	0	0	28905949	0	0	0	0	28905949
व्यापार के लिए धारित												
सकल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अवमूल्यन और एनपीआई के लिए कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल निवेश	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
गैर निष्पादन निवेशों के लिए कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अवमूल्यन और एनपीआई के लिए कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल	**29001161**	**0**	**7702**	**0**	**0**	**0**	**29008863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29008863**

31 मार्च 2022 तक

(राशि ₹ रुपये में)

विवरण	भारत में निवेश							भारत से बाहर निवेश				कुल निवेश
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य मंजूर प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर और बौंड	सबसिडियरीज और/ या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)	सबसिडियरीज और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत से बाहर कुल निवेश	
परिपक्वता के लिए धारित												
सकल	103878	0	0	0	0	0	103878	0	0	0	0	103878
गैर निष्पादन निवेशों के लिए कम प्रावधान (एनपीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल	103878	0	0	0	0	0	103878	0	0	0	0	103878
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	18981286	0	7702	0	0	0	18988988	0	0	0	0	18988988
अवमूल्यन और एनपीआई के लिए कम प्रावधान	1968	0	0	0	0	0	1968	0	0	0	0	1968
निवल	18979318	0	7702	0	0	0	18987020	0	0	0	0	18987020
व्यापार के लिए धारित												
सकल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अवमूल्यन और एनपीआई के लिए कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल निवेश												
गैर निष्पादन निवेशों के लिए कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अवमूल्यन और एनपीआई के लिए कम प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल	**19083196**	**0**	**7702**	**0**	**0**	**0**	**19090898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19090898**

बी. **मूल्य ह्रास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन**

(राशि रुपये में)

क्र. संख्या	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	निवशों पर मूल्य ह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन		
ए.	प्रारंभिक जमा	1968	1091
बी.	जोड़: वर्ष के दौरान दिए गए प्रावधान	-	877
सी.	घटाएं: वर्ष के दौरान अत्यधिक प्रोविजिनिंग को बट्टे खाते में डालना/ राइट बैक करना	1968	-
डी.	अंतिम शेष	-	1968
ii)	निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन		
ए.	प्रारंभिक जमा	-	-
बी.	जोड़े: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि	-	-
सी.	घटाएं: ड्रा डाउन	-	-
डी.	अंतिम शेष	-	-
iii)	एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के जमा शेष के एक प्रतिशत के रूप में आईएफआर में जमा शेष	-	-

सी) एचटीएम वर्ग को/से बिक्री और हस्तांतरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, एचटीएम वर्ग को/से निवेश का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ और एचटीएम वर्ग से निवेश की कोई बिक्री नहीं हुई। (31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, एचटीएम वर्ग को/से निवेश का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ और एचटीएम वर्ग से निवेश की कोई बिक्री नहीं हुई)

डी) गैर-एसएलआर पोर्टफोलियो

i) गैर-निष्पादनकारी गैर-एसएलआर निवेश

31 मार्च, 2022 तक बैंक के पास कोई गैर-निष्पादनकारी गैर-एसएलआर निवेश नहीं है और इस तरह, इस खंड के तहत कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया जाना है। (बैंक के पास 31 मार्च, 2021 तक कोई गैर-निष्पादनकारी गैर-एसएलआर निवेश नहीं था)

ii) गैर एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

क्रम संख्या	जारीकर्ता	राशि	निजी प्लेसमेंट की सीमा	'नीचे निवेश ग्रेड' प्रतिभूतियों की सीमा	' गैर रेटेड ' प्रतिभूतियों की सीमा	'गैर सूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा
1	2	3	4	5	6	7
(i)	पीएसयू	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	बैंक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iv)	निजी कंपनियां	7702 7702	7702 7702	शून्य	शून्य	7702 7702
(v)	सबसिडियरी/ संयुक्त वेंचर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	मूल्य ह्रास की दिशा में धारित प्रावधान	शून्य				
	कुल	**7702** **7702**	**7702** **7702**	शून्य	शून्य	**7702** **7702**

नीचे सेल में दिए गए आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष के हैं

ई) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

वित्त वर्ष 2021-22

(राशि 000 ₹ में)

विवरण	**वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया**	**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया**	**वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया**	**31 मार्च, 2022 तक बकाया**
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	-	592827	32944	-
ii. कंपनी ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	-	3587820	639871	845270
ii. कंपनी ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
iii. कोई अन्य प्रतिभूति	-	-	-	-

वित्त वर्ष 2020-21

(राशि रूपये में)

विवरण	**वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया**	**वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया**	**वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया**	**31 मार्च, 2022 तक बकाया**
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	-	376416	38498	173982
ii. कंपनी ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियां	-	25507000	348960	197730
ii. कंपनी ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
iii. कोई अन्य प्रतिभूति	-	-	-	-

3. डेरिवेटिव

ए. वायदा दर समझौता/ब्याज दर स्वैप
बी. एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव
सी. डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण
डी. ऋण डिफॉल्ट स्वैप

बैंक ने डेरिवेटिव में कोई लेनदेन नहीं किया है और इस प्रकार इस खंड में कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया जाना है। बैंक ने इस खंड में पिछले वर्ष भी कोई लेनदेन नहीं किया था।

4. परिसंपत्ति गुणवत्ता

ए. अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरण
बी. क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए
सी. विदेशी संपत्ति, एनपीए और राजस्व
डी. समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण
ई. परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में अंतर
एफ. ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण
जी. धोखाधड़ी खाते
एच. कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

बैंक ''पेमेंट्स बैक'' की श्रेणी में आता है और उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, ऐसे प्रकटीकरण जिनमें अनर्जक अग्रिम, पुनर्गठन, विचलन और धोखाधड़ी खाते सहित आस्तियों की गुणवत्ता की आवश्यकता होती है, शामिल हैं, बैंक पर लागू नहीं होते।

5. एक्सपोजर

एक्सपोजर प्रकटीकरण के तहत निम्नलिखित विवरण की आवश्यकता होती है
ए) रियल एस्टेट के लिए एक्सपोजर
बी) पूंजी बाजार के लिए एक्सपोजर
सी) जोखिम वर्ग-वार देश एक्सपोजर
डी) असुरक्षित अग्रिम
ई) फैक्टरिंग एक्सपोजर
एफ)इंट्रा - ग्रुप एक्सपोजर
जी) अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर

बैंक 'पेमेंट बैंक श्रेणी' के तहत आता है और उसे उधारी देने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, एक्सपोजर से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

6. आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण:

आरबीआई ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है। आरबीआई ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भी बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया था।

7. स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास:

परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मूल्य ह्रास का विवरण

(राशि रूपये में)

परिसंपत्ति का वर्ग	31.03.2022	31.03.2021
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	582181	562838
अन्य स्थायी परिसंपत्तियां	223948	61253
कुल	806129	624091

8. ऐसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट

ए. परिसंपत्ति और देनदारियों की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न

(राशि रूपये में)

परिपक्वता पैटर्न	जमा	अग्रिम	निवेश	उधारी	फॉरेन करेंसी ऐसेट	फॉरेन करेंसी देनदारियां
अगले दिन	493895 310490	शून्य	शून्य 487500	शून्य	3791 3661	शून्य
2-7 दिन	1188540 734312	शून्य	शून्य शून्य	शून्य 169964	शून्य	शून्य
8-14 दिन	1199436 738629	शून्य	शून्य 149873	शून्य	शून्य	शून्य
15-30 दिन	1115002 694989	2757 शून्य	598874 49936	शून्य	शून्य	शून्य
31 दिन से दो महीने	शून्य	2757 शून्य	शून्य 149377	शून्य	शून्य	शून्य
दो महीने से अधिक से 3 महीने	शून्य	2757 शून्य	4681253 695606	शून्य	शून्य	शून्य
3 महीने से अधिक से 6 महीने	शून्य	6671 शून्य	8722392 8294365	शून्य	शून्य	शून्य
6 महीने से अधिक से एक साल	शून्य	678 शून्य	14895727 9104771	शून्य	शून्य	शून्य
एक साल से अधिक से 3 साल	32920345 20518431	शून्य	शून्य 102914	शून्य	शून्य	शून्य
3 साल से अधिक से 5 साल	शून्य	शून्य	103878 शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5 साल से अधिक	शून्य	शून्य	7702 55592	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**36917218** **22996851**	**15620** **शून्य**	**29008862** **19090898**	**शून्य** **169964**	**3791** **3661**	**शून्य**

नीचे सेल में दिए गए आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष के हैं

नोटः

- जमाएं: ऐसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरुप, 31 मार्च 2022 को चालू/ बचत खाते का आहरण पैटर्न बैंक के बार्ड द्वारा अनुमोदित व्यवहारगत अध्ययन के आधार पर उपयुक्त बकेट में वर्गीकृत किया गया है।
- निवेश/अग्रिम/उधारीः इन्हें संबंधित अवशिष्ट परिपक्वता पैटर्न के अनुसार बकेट किया गया है।

बी. लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर)

लिक्विडिटी कवरेज अनुपात के लिए प्रकटीकरण दिनांक 17 अप्रैल 2020 के आरबीआई/2019-20/217/ डीओआर.बीपी.बीसी. संख्या 65/21.04.098/2019-20 के द्वारा जारी तरलता मानदंड-तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर बैसेल संरचना पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार पेमेंट्स बैंक के लिए लागू नहीं हैं।

सी. नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर)

सी. नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात के लिए प्रकटीकरण दिनांक 5 फरवरी 2021 के आरबीआई/2020-21/95/डीओआर. संख्या एलआरजी.बीसी. 40/21.04.098/2020-21 के द्वारा जारी नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर) पर बैसेल संरचना पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार पेमेंट्स बैंक के लिए लागू नहीं हैं।

9. राजस्व मान्यता - लेखा मानक 9

ए. ब्याज आय को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है। डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट पर ब्याज आय की मान्यता इंस्ट्रूमेंट की अवधि के दौरान दी जाती है।

बी. कमीशन आय और सेवा शुल्क को सेवा के प्रावधान की समाप्ति पर मान्यता दी जाती है। वसूली का उचित अधिकार स्थापित होने तथा विचार की प्राप्ति के संबंध में कोई उल्लेखनीय अनिश्चितता न होने पर राजस्व को मान्यता दी जी है।

सी. अन्य सभी आय का हिसाब प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

डी. ब्याज और प्रचालन व्यय का हिसाब प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है।

10. विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव - लेखांकन मानक 11

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) के तहत मेसर्स रिया फाइनेंशियल सर्विसेज अमेरिका के साथ समझौता किया है। इस संबंध में, बैंक ने 50,018.91 अमेरिकी डॉलर की एक संपार्श्विक जमाराशि प्राप्त की थी। इस राशि को भारतीय स्टेट बैंक के पास रखा गया है और इसे 'बैंकों के साथ चालू जमाओं' के तहत दर्शाया गया है। मेसर्स रिया फाइनेंशियल सर्विसेज की संबंधित देयता 'अन्य देयताएं - अन्य' के तहत दर्शाई गई है। भारतीय रूपये में परिवर्तन एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

50,070 अमेरिकी डॉलर की संपार्श्विक जमाराशि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मेसर्स वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज से प्राप्त की गई थी जो 31.03.2021 को बकाया थी और उनका चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान कर दिया गया था क्योंकि डाक विभाग ने ऐसी सेवाओं को प्रत्यक्ष रूप से जारी रखने का निर्णय लिया था।

11. सरकारी अनुदान उपयोग - लेखा मानक 12

अनुदान का उपयोग नीचे दिया गया हैः

(राशि रूपये में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
सहायता अनुदान का प्रारंभिक शेष	**104984**	**368795**
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	**-**	**-**
घटायें : वर्ष के दौरान प्रयुक्त	104984	263811
सहायता अनुदान का अंतिम शेष (ए)	-	104984
सहायता अनुदान पर प्रोद्भूत ब्याज का प्रारंभिक शेष	14364	24723
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रोद्भूत ब्याज	2466	14364
घटायें: डाक विभाग के माध्यम से पिछले वर्ष का ब्याज भारत सरकार को प्रेषित	14364	24723
सहायता अनुदान पर प्रोद्भूत ब्याज का अंतिम शेष (बी)	**2466**	**14364**
तुलन पत्र (ए)(बी) की अनुसूची2 के अनुरुप अंतिम शेष	**2466**	**393518**

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशानुसार, बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदानों के अप्रयुक्त हिस्से पर प्रोद्भूत ब्याज होने के कारण लाभ एवं हानि खाते से अनुदान खाते को 0.25 करोड़ रुपये की एक राशि हस्तांतरित की है जो डाक विभाग के माध्यम से भारत के समेकित फंड को प्रेषित कर दी जाएगी।

1.44 करोड़ रुपये के बराबर वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रोद्भूत ब्याज भारत के समेकित फंड को आगे के प्रेषण के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान डाक विभाग के द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया है।

12. कर्मचारी लाभ - लेखांकन मानक 15

ए) ग्रेच्यूटी:

वर्ष के दौरान, बैंक ने बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित भारतीय जीवन बीमा निगम से 11.30 करोड़ रुपये के बराबर की वार्षिकियां (एन्यूटी) खरीदी है। यह राशि 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 8.07 करोड़) के लिए लाभ और हानि खाता से डेबिट की जाती है।

बी) अवकाश नकदीकरण:

वर्ष के दौरान, बैंक ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों द्वारा विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए 21.36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 7.36 करोड़) के लिए लाभ और हानि खाता से डेबिट की जाती है।

13. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण - लेखांकन मानक 18

प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक

(राशि रूपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	320	740
एमडी एवं सीईओ को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	6270	10331

सीएफओ को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	4716	4456
कंपनी सचिव को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	1470	1349
कंप्यूटर सॉटवेयर	582181	562838

14. खंड रिपोर्टिंग - लेखा मानक 17

(₹ 000 में)

भाग ए : व्यवसाय खंड			
क्रम संख्या	**विवरण**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
i.	खंड राजस्व		
	ए) ट्रेजरी	1189892	818253
	बी) कॉरपोरेट/थोकबिक्री बैंकिंग	शून्य	शून्य
	सी) खुदरा बैंकिंग	3408552	1299081
	डी) अन्य बैंकिंग प्रचालन	13597	13982
	कुल	**4612041**	**2131316**
ii.	खंड परिणाम		
	ए) ट्रेजरी	-33678	-63515
	बी) कॉरपोरेट/थोकबिक्री बैंकिंग	शून्य	शून्य
	सी) खुदरा बैंकिंग	-1674571	-3216834
	डी) अन्य बैंकिंग प्रचालन	13597	12352
	कुल	**-1694652**	**-3267997**
iii.	अनावंटित व्यय	शून्य	शून्य
iv.	प्रचालन लाभ	-1694652	-3267997
v.	प्रावधान	-98479	-62558
vi.	असाधारण मद (पूर्व अवधि व्यय)	शून्य	शून्य
vii.	**निवल लाभ**	**-1596173**	**-3205439**
अन्य सूचना:			
viii.	खंड परिसंपत्ति		
	ए) ट्रेजरी	41396670	26202027
	बी) कॉरपोरेट/थोकबिक्री बैंकिंग	शून्य	शून्य
	सी) खुदरा बैंकिंग	3614411	4415369
	डी) अन्य बैंकिंग प्रचालन	शून्य	शून्य
	उप कुल	45011081	30617396
	ई) अनावंटित परिसंपत्तियां	शून्य	शून्य
	कुल परिसंपत्तियां	**45011081**	**30617396**
ix.	खंड देयताए		
	ए) ट्रेजरी	38303500	23630863
	बी) कॉरपोरेट/थोकबिक्री बैंकिंग	शून्य	शून्य
	सी) खुदरा बैंकिंग	6707581	6986533

	डी) अन्य बैंकिंग प्रचालन	शून्य	शून्य
	उप कुल	45011081	30617396
	ई) अनावंटित देयताएं	शून्य	शून्य
	कुल देयताएं	**45011081**	**30617396**

भाग बी- भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक केवल भारत में ही प्रचालन कर रहा है, भौगोलिक खंड रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है

15. पट्टों के लिए लेखांकन - लेखांकन मानक 19

बैंक ने कोई भी परिसर/परिसंपत्ति पट्ट पर नहीं ली है। इसलिए, पट्टे से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

16. प्रति शेयर अर्जन - लेखांकन मानक 20

क्रम संख्या	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
ए	ईपीएस-बेसिक/डायलुटेड (रुपये में)	1.22-	3.04-
बी	अंश लाभ/(हानि)(कर उपरांत) (₹ 000 में)	)1596173(	)3205439(
सी	शेयर का नाममात्र मूल्य	रुपये प्रत्येक10	रुपये प्रत्येक10
डी	भाजक के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1307950685	1054301370

17. आय पर करों के लिए लेखांकन - लेखांकन मानक 22

बैंक ने लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को मान्यता दी है।

प्रबंधन का मानना है कि पर्याप्त उपलब्ध अधिशेष की यथेचित निश्चितंता के अभाव में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष के लिए हानियों पर मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। वित्त वर्ष 2018-19 तथा वित्त वर्ष 2019-20 में कुल 168.80 करोड़ रुपये की मान्यता प्राप्त संचयी हानि पर वर्तमान आस्थगित कर आस्तियों की समीक्षा की गई और इसे बनाये रखने के लिए एक सुविचारित रूढ़िवादी दृष्टि अपनाई गई है। तद्नुरुप, नीचे दर्शाया गया आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का 'कैरी फॉरवर्ड हानि' कंपोनेंट वित्त वर्ष 2018-19 तथा वित्त वर्ष 2019-20 में मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों का प्रतिनिधित्व करता है।

आस्थगित कर आस्तियों के प्रमुख कंपोनेंट नीचे दिये गए हैं:

(₹ 000 में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
आस्थगित कर आस्तियां		
कैरी फॉरवर्ड हानि	1688009	1688009
ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान	-	53431
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	85107	43202
स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास	93482	-
कुल	**1866599**	**1784642**

आस्थगित कर आस्तिया		
स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास	-	16522
कुल	-	16522
आस्थगित कर आस्तियां	**1866599**	**1768120**

18. समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेशों के लिए लेखांकन - लेखांकन मानक 23

बैंक के पास कोई सबसिडियरी/एसोसिएट्स नहीं है और इसलिए इस खंड के तहत किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है

19. परिसंपत्तियों की हानि- लेखांकन मानक 28

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की कोई हानि नहीं हुई।

20. शिकायतों की स्थिति पर प्रकटीकरण और बैंकिंग लोकपाल के लागू नहीं किए गए निर्णय

क्रम संख्या		विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें				
1		वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	259	590
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	20170	13992
3		वर्ष के आरंभ में निपटाई गई शिकायतों की संख्या	20158	14323
	3.1	इसमें से, बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	219	शून्य
4		वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	271	259
ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें				
5		ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या	115	45
	5.1	5 में से, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	115	44
	5.2	5 में से, बीओ द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	शून्य	1
	5.3	5 में से, बीओ द्वारा बैंक के विरुद्ध निर्णयों को पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
6		निर्धारित समय के भीतर (अपील की गई है, उसके अतिरिक्त) गैरकार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य	शून्य

बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के शिर्ष पांच आधार

शिकायतों के आधार (अर्थात शिकायतें किससे संबंधित हैं)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	5 में से, 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5	6
चालू वित्त वर्ष (2021-22)					
इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग/ इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग	218	15459	41.16%	200	5
प्रशुल्क अनुसूची एवं सेवा प्रभार	0	1070	2509.75%	9	0
अन्य	41	3641	21.36%	62	1
कुल	**259**	**20170**	**44.15%**	**271**	**6**
पिछला वित्त वर्ष (2020-21)					
इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग/ इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग	452	10951	-76.63%	218	0
प्रषुल्क अनुसूची एवं सेवा प्रभार	0	41	-99.54%	0	0
अन्य	138	3000	-82.64%	41	0
कुल	**590**	**13992**	**-80.82%**	**259**	**0**

21. ''प्रावधानों और आकस्मिकताओं'' का विवरण

(₹ 000 में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
एनपीए की दिशा में प्रावधान (निवल)	शून्य	शून्य
मानक परिसंपत्तियों की दिशा में प्रावधान	शून्य	शून्य
आय कर/आस्थगित कर की दिशा में प्रावधान	-98479	-63434
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	शून्य	शून्य
कुल	**-98479**	**-63434**

22. जमाराशिओं, अग्रिमों और एनपीए का संकेंद्रण:

ए) जमाओं का संकेंद्रण:

(₹ 000 में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
बीस सबसे बड़ी जमाओं का कुल जमा	4000	2000
मानक परिसंपत्तियों की दिशा में प्रावधान	0.0108 प्रतिशत	0.0087 प्रतिशत

बी. अग्रिमों का संकेंद्रण	बैंक पेमेंट ''की श्रेणी में आता है और इसे उधारी देने की अनुमति नहीं है।
सी. एक्सपोजरों का संकेंद्रण	इसलिए, अग्रिमों/एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रण और प्रावधान
डी. एनपीए का संकेंद्रण	कवरेज अनुपात से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है

23. जमाकर्ता शिक्षा तथा जागरुकता कोष (डीईएएफ) में स्थानांतरण

कोई भी दावा न की गई राशि नहीं है जो 10 से अधिक वर्षों से परिपक्व और बकाया हैं। इसलिए कोई भी राशि वित्तीय वर्ष के दौरान जमाकर्ता शिक्षा तथा जागरुकता फंड (डीईएएफ) को अंतरित करने के योग्य नहीं थी।

24. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

आईपीपीबी 100 प्रतिशत भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसलिए, पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जोखिम लेने वालों तथा नियंत्रण कार्य कर्मचारी के पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण जो निजी क्षेत्र के बैंकों पर लागू हैं, आईपीपीबी पर लागू नहीं है।

25. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

बैंक ''पेमेंट बैंक'' की श्रेणी में आता है और इसे उधारी देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, बैंक ने प्रतिभूतिकरण से संबंधित कोई लेनदेन नहीं किया है।

26. अन्य प्रकटीकरण

ए. व्यवसाय अनुपात

	विवरण	31.03.2022	31.03.2021
i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	2.84%	2.75%
ii)	गैर कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.36%	4.54%
iii)	जमाओं की लागत	2.47%	2.86%
iv)	निवल ब्याज मार्जिन	1.82%	1.90%
v)	गैर कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में प्रचालन लाभ	-3.75%	-11.18%
vi)	आस्तियों पर रिटर्न	-3.53%	-10.96%
vii)	प्रति कर्मचारी (लाख रुपये में) व्यवसाय (जमा प्लस अग्रिम)	234.40%	131.26%
viii)	प्रति कर्मचारी (लाख रुपये में) लाभ/हानि	(10.13)	(18.30)

i. अनुपातों की गणना के उद्देश्य से, कार्यशील निधि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के तहत आरबीआई को जमा किए गए फॉर्म एक्स की रिपोर्टिंग तिथियों के लिए कुल परिसंपत्तियों (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हो) के मासिक औसत की कंप्यूटिंग का प्रतिनिधित्व करती है।

ii. परिचालन हानि प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पहले के वर्ष के लिए नुकसान है।

iii. उत्पादकता अनुपात वित्तीय वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पर आधारित होते हैं।

बी. बैंकाश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में प्रकटीकरण

(₹ 000 में)

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
जीवन बीमा उत्पादों के वितरण से अर्जित कमीशन	57131	63923
गैर-जीवन बीमा उत्पादों के वितरण से अर्जित कमीशन	5973	-
पीएमजेजेबीवाई के वितरण से अर्जित कमीशन	3871	1034

सी. विपणन एवं वितरण

(रुपये 000 में)

विवरण	31.03.2022	31.03.2021
म्युचुअल फंड उत्पादों के वितरण से अर्जित कमीशन	417	-
ऋण रेफरल से अर्जित कमीशन	842	-

डी. प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण

(एक्सपोजर से अलग)

यह बैंक ''पेमेंट्स बैंक'' की श्रेणी के तहत आता है और इसे उधार देने की अनुमति नहीं है। इसलिए, एक्सपोजर से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

ई. ईएफआरएस अभिसरण भारत लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एएस)

दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक तिमाही आधार पर इंडएएस प्रोफार्मा प्रस्तुत कर रहा है। एक पेमेंट्स बैंक होने और वर्तमान व्यवसाय मॉडल पर आधारित होने के कारण, आईपीपीबी इंड एएस के कार्यान्वयन में किसी प्रमुख चुनौती की उम्मीद नहीं कर रहा है।

एफ.क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट

बैंक ने कोई क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया है और इसका इसके वर्चुअल डेबिट कार्ड पर कोई रिवार्ड प्वाइंट संरचना नहीं है। इस प्रकार, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के संबंध में प्रकटीकरण लागू नहीं है।

जी. डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(रुपये 000 में)

क्रम संख्या	विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
ए	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	31577	15505
बी	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	-	-

एच. बैंक के कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

जिस वेतन संरचना का अनुसरण किया जा रहा है, बैंक की पारिवारिक पेंशन की दिशा में कोई देयता नहीं है। इसलिए, इस पर प्रकटीकरण लागू नहीं है।

1. ऑफ बैलेंस शीट एसपीवी प्रायोजित (जिन्हें लेखांकन नियमों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है)
   पेमेंट्स बैंक के लिए प्रकटीकरण लागू नहीं होता और इसलिए इस खंड के तहत कुछ भी रिपोर्ट किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य नोट:

27. अनुदान पर ब्याज

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देश के अनुसार, बैंक ने अनुदान के अप्रयुक्त हिस्से पर अर्जित ब्याज होने के कारण लाभ एवं हानि खाते से अनुदान खाते को 0.25 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की है, जिसे डाक विभाग द्वारा भारत के समेकित फंड को प्रेषित किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 1.44 करोड़ रुपये के बराबर का अर्जित ब्याज डाक विभाग को भारत के समेकित फंड को आगे के विप्रेषण के लिए हस्तांतरित कर दिया गया है।

28. आकस्मिक देयताएं

तुलन पत्र की अनुसूची 12 के तहत दिखाई गई 0.25 करोड़ रुपये की आकस्मिक देयता भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पक्ष में आईपीपीबी की तरफ से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी की राशि का प्रतिनिधित्व करती है जो स्थायी जमाओं के माध्यम से 100 प्रतिशत सेक्योर्ड है, नवंबर 2027 तक वैध रहेगी।

29. शेयर पूंजी

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयरों के राइट इश्यू के माध्यम से 200 करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाई (वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 220 करोड़ रुपये) है।
बैंक ने पूंजी प्रवाह की संभावित अतिरिक्त आवक की पूर्ति करने के लिए वर्ष के दौरान अपनी प्राधिकृत शेयर पूंजी में 600 करोड़ रुपये की वृद्धि (वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 220 करोड़ रुपये) की है।

30. 11वें द्विपक्षीय बंदोबस्त के अनुसार वेतन संशोधन का प्रावधान

बैंक भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा निर्धारित वेतन संरचना का अनुपालन करता है। 11वां द्विपक्षीय बंदोबस्त नवंबर 2017 से बकाया है और बैंक प्रत्येक वर्ष बकाया के भुगतान के लिए लेखा बहियों में प्रावधान करता रहा है।

बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर, बैंक ने दिसंबर 2021 से 11वें द्विपक्षीय बंदोबस्त के अनूसार वतन संरचना का कार्यान्वयन किया है। नवंबर 2017 से नवंबर 2021 की अवधि के लिए बकाया के मुकाबले, चालू वित्त वर्ष के दौरान आंशिक भुगतान किया गया। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, बहियों में देय बकाया की शेष राशि 38.34 करोड़ रुपये है।

31. कर्मचारियों को अल्प अवधि ब्याज वाला अग्रिम

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने बोर्ड अनुमोदित नीति के आधार पर बैंक की अपनी निधियों से अपने कर्मचारियों को अल्प अवधि ब्याज वाला अग्रिम प्रदान किया है। यह दिनांक 06 अक्टूबर 2016 के ''पेमेंट्स बैंक के लिए प्रचालन दिशानिर्देश'' के अनुरुप आरबीआई विनियमनों की तर्ज पर है।

32. सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियां

सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों को पहचान के लिए 1 रुपये का नाममात्र मूल्य रखते हुए अचल संपत्ति रजिस्टर में रखा जाता है।

33. कार्यशील संस्थाएं

वर्ष के अंत में, संचित हानि बैंक की प्रदत्त शेयर पूंजी का पचास प्रतिशत से अधिक है और बैंक की निवल संपत्ति इस हद तक नष्ट हो गई है। बैंक की कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता इसके प्रचालनों की सफलता और प्रचालनों के लिए वित्तपोषण करने की व्यवस्था करने की इसकी क्षमता पर निर्भर है।
बैंक को अपनी परिचालन और पूंजीगत निधियन आवश्यकताओं को अगले 12 महीने में पूरा करने का विश्वास है। तद्नुसार, इन वित्तीय विवरणों को कार्यशील संस्था आधार पर तैयार किया गया है।

34. कोविड-19 महामारी

कोविड-19 महामारी के प्रकोप की वजह से पहले क्षेत्रीय लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ गई थी जिसके कारण वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव और कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आ गई थी। वित्त वर्ष 2022 के दौरान, भारत ने कोविड-19 महामारी की दो और लहरों का प्रकोप झेला है। वर्तमान में, नए कोविड-19 मामलों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है और सरकार ने कोविड-19 से संबंधित अधिकांश प्रतिबंध हटा लिए हैं।

इसके अतिरिक्त, किस सीमा तक कोविड-19 महामारी और भविष्य की इसकी लहरें बैंक के प्रचालन को प्रभावित कर सकती हैं, यह अनिश्चित है। बहरहाल, बैंक जारी आधार पर घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है और प्रचालनगत दक्षता को बनाये रखने तथा उसमें सुधार लाने के लिए निरंतर सक्रिय कदम उठाता रहा है। इसलिए, बैंक का विश्वास है कि बैंक के भविष्य के वित्तीय परिणामों पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

35. आईपीपीबी शाखाओं की फर्निशिंग/ब्रांडिंग के लिए डीओपी सर्किलों को दी गई राशि और अभिगम बिंदु

आईपीपीबी/डीओपी (आईपीपीबी फंड में से) ने वित्त वर्ष 2017-18 में 66.28 करोड़ रुपये की राशि 23 डीओपी सर्किलों को सभी 650 आईपीपीबी शाखाओं को फर्निशिंग (16.81 करोड़ रुपये) और ब्रांडिंग के लिए सभी आईपीपीबी/डीओपी अभिगम बिंदुओं को एचओ. एसओ. और बीओ (49.47 करोड़ रुपये) के माध्यम से भेजी थी। आईपीपीबी की सभी शाखाएं 1 सितंबर, 2018 से लांच पर लाइव हो गए हैं।

31.03.2022 को डाक विभाग से 0.20 करोड़ रुपये की राशि अभी भी अप्राप्य है और इसे डीओपी (पूंजी प्रतिबद्धता) के तहत प्राप्य के रूप में दर्षाया गया है। यूंकि यह राशि लंबे समय से बकाया है, बैंक ने 31.03.2022 को खाता बही में समान राशि का प्रावधान किया है। बैंक नियमित रूप से उपरोक्त संदर्भित शेष बिल/रिफंड प्राप्त करने के लिए डीओपी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

चूंकि डीओपी ने फर्निशिंग, ब्रांडिंग तथा लांच कार्यक्रमों को प्रबंधित करने से संबंधित सारा काम पूरा कर लिया है, कुछ वेंडरों ने डीओपी के नाम पर कुछ बिल बनाये हैं। इस बात पर विचार करते हुए कि डीओपी मूल संगठन है, बैंक ने कथित बिलों को डीओपी के नाम पर स्वीकृति दी है जैसेकि ये बिल उसके ही हैं और उनका हिसाब अपने बही खातों में दर्ज किया है।

36. एसआई लागत

आईपीपीबी ने अपने समर्पित और अनुकूलित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के लिए 801 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) में अनुबंध प्रदान किया है। अनुबंध की अवधि 12 जुलाई, 2018 से 5 वर्ष के लिए प्रभावी है।

समझौते के अनुसार, राशि पांच वर्ष की अवधि तक के लिए विस्तारित समझौते में उल्लेखित उपलब्धियों के आधार पर देय हो जाएगी। तद्नुसार वेंडर, जब और जैसे भुगतान देय हो जाता है तो आईपीपीबी के पास बीजक प्रस्तुत करेगा और बीजक की राशि उस समय पर देय राशि तक सीमित है।

विवेकपूर्ण लेखांकन व्यवहार के रूप में, आईपीपीबी ने उसके स्वामित्व वाले हार्डवेयर की पूरी राशि को पूंजीकृत किया था तथा 31 मार्च, 2019 तक 106.32 करोड़ रुपये के बराबर के गो लाइव की तिथि तक इसका उपयोग किया था। उक्त हार्डवेयर बैंक के नाम पर बीमित किया गया है। 31 मार्च 2022 तक प्राप्त बिल 104.54 करोड़ रुपये के थे। 1.78 करोड़ रुपये के शेष बिल अनुबंध की शेष बची अवधि के दौरान प्राप्त किए जाएंगे।

इसी प्रकार, बैंक ने उसके स्वामित्व वाले सॉटवेयर की पूरी राशि को पूंजीकृत किया था तथा 31 मार्च, 2019 तक 240.46 करोड़ रुपये के बराबर के गो लाइव की तिथि तक इसका उपयोग किया था। 31 मार्च 2022 तक प्राप्त बिल 212.96 करोड़ रुपये के थे। 27.50 करोड़ रुपये के शेष बिल अनुबंध की शेष बची अवधि के दौरान प्राप्त किए जाएंगे।

उक्त हार्डवेयर एवं सॉटवेयर को बैंक के स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर में पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है तथा उसी के अनुरुप उस पर मूल्य ह्रास प्रभारित किया गया है। उक्त हार्डवेयर का सत्यापन और लेखांकन मेसर्स एसटीक्यूसी आईटी सर्विसेज द्वारा किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने वेंडर पर 57.73 करोड़ रुपये (रिलीज 2 से संबंधित 577.26 करोड़ रुपये की कुल अनुबंध राशि का 10 प्रतिशत) का जुर्माना लगाया था। हालांकि जुर्माने की राशि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए भुगतान के विरुद्ध समायोजित कर ली गई थी, पिछले चार वर्षों के दौरान पूंजीकृत परिसंपत्तियों और/या बुक किए गए व्ययों के विरुद्ध तद्नुरुपी उत्क्रमण प्रभावित नहीं किया गया था।

प्रबंधन का विचार है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान खाता बहियों में किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है और यह राशि अनुबंध की शेष अवधि के दौरान पूंजीकृत या व्यय की गई भविष्य की राशिओं के विरुद्ध समायोजित कर दी जाएगी।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने वेंडर को उल्लेखनीय उपलब्धि के आधार पर करों (ऊपर उल्लेखित जुर्माना का निवल) सहित 49.88 करोड़ रुपये का भुगतान किया था जिसमें हार्डवेयर, सॉटवेयर, एएमसी शुल्क, कार्यान्वयन तथा अनुकूलन आदि की दिशा में किया गया भुगतान शामिल है।

37. आरबीआई के दिनांक 30 अगस्त 2021 के ''वित्तीय विवरणों - प्रस्तुतिकरण एवं प्रकटीकरण पर मास्टर दिशानिर्देश'' के आधार पर, बैंक ने 'निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान' को 'प्रावधानों तथा आकस्मिकताओं' से 'निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर अन्य आय-लाभ/हानि' के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है।

इसी प्रकार, ''बैंक के तुलन पत्र पर रिजर्व बैंक के साक रिवर्स रेपो की रिपोर्टिंग'' पर दिनांक 19 मई 2022 की आरबीआई की अधिसूचना के आधार पर, बैंक ने 'आरबीआई के साथ रिवर्स रेपो' को 'अनुसूची 7 - कॉल' एवं अल्प अवधि नोटिस पर बैंक एवं धन के साथ शेष राशि से 'अनुसूची 6-भारतीय रिजर्व बैंक के साथनकदी एवं शेष राशि' के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है।

38. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहित किया गया है, और जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरुप उन्हें बहाल किया गया है।

(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव

(अनूप ई एस)
मुख्य वित्त अधिकारी

(जे वेंकटरामू)
एमडी एवं सीईओ
(डिन 08918442)

(पवन कुमार सिंह)
निदेषक
(डिन 09434830)

(विनीत पांडेय)
अध्यक्ष
(डिन 09199133)

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेहरा गोयल एवं कंपनी
सनदी लेखाकार (आरएफएन 00517)

(देविंदर कुमार अग्रवाल)
पार्टनर, सदस्यता संख्या 087716

दिनांक: 30.06.2022
स्थान: नई दिल्ली

गोपनीय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

सत्यमेव जयते

क्रमांक
No. रिप.वि.लेखा/एफ-286/IPPBL/2020-21/ 146

कार्यालय
महानिदेशक लेखापरीक्षा, वित्त एवं संचार
शामनाथ मार्ग, (समीप पुराना सचिवालय) दिल्ली–110054

OFFICE OF THE
Director General Of Audit, Finance & Communication
SHAMNATH MARG, (NEAR OLD SECRETARIAT), DELHI-110054

दिनांक 02-09-2022
Date

सेवा में,

अध्यक्ष,
भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक लि.(IPPBL),
नई दिल्ली-110001

विषय: भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक लि.(IPPBL) के वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखो पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत सीएजी की टिप्पणियां।

महोदय,

I am to forward herewith 'Nil Comments' certificate under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the annual accounts of IPPBL for the year ended 31st March 2022 for information and further necessary action.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

भवदीया,

संलग्नक: यथोपरि।

(अमन दीप चट्ठा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

दूरभाष/Telephone
011-233814747 / 4623 / 2666

ई–मेल/E-mail
pdafincom@cag.gov.in

फैक्स/Fax
+91-011-23813822

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF INDIA POST PAYMENT BANK Ltd. (IPPBL) FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

The preparation of financial statements of **India Post Payment Bank Ltd. (IPPBL)** for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013(Act) is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditor/Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act are/is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 30th June 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of IPPBL for the year ended 31 March 2022 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditor's report under section 143 (6) (b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Aman Deep Chatha)
Director General of Audit
(Finance & Communication)

Place: New Delhi
Date: 2-09-2022

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 9 के अनुरूप)

सेवा में,

सदस्यगण,

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (सीआईएन यू74999डीएल2016जीओआई304561) (इसके बाद 'कंपनी' कहा जाएगी) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार की गई थी जिससे हमें कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

ए. कंपनी के बही खातों कागजातों, कार्यवृत्त बही खातों, फॉर्म एवं फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों और कंपनी, उसके अधिकारियों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान उपलब्ध कराई अन्य जानकारियों के सत्यापन के आधार पर हम एततद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 (' लेखा परीक्षा अवधि') को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उस सीमा तक, उस तरीके से और उसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र हैं।

बी. हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखरखाव किए गए बही खातों, कागजातों, कार्यवृत्त बही खातों, फॉर्म एवं फाइल किए गए रिटर्न तथा अन्य रिकॉर्डों की निम्न प्रावधानों के अनुसार जांच की है

(I) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाये गए नियम,

(II) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाये गए नियम, (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(III) डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके तहत बनाये गए विनियम तथा उपनियम,

(IV) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारियों की सीमा तक बनाये गए नियम (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(V) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (' सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित विनियमन और दिशानिर्देश (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(VI) कंपनी में व्याप्त अनुपालन प्रणाली के संबंध में, कंपनी के अनुपालन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रमाणपत्रों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने आम तौर पर उन अधिनियमों का अनुपालन किया है, प्रबंधन ने बैंकिंग विनियमन 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961 और वहां बनाये गए नियमों एवं अधिनियमों, जिस सीमा तक कंपनी के प्रति उनकी प्रयोज्यता है, सहित की पहचान की है और पुष्टिकी है कि वे कंपनी पर विशेष रूप से लागू हैं। बहरहाल, कॉरपोरेट गर्वेंस पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, हमें प्रदान की गई जानकारी एवं दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी ने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के पास आवेदन किया है कि ' कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए न कि सीपीएसई के रूप में । '

सी. हमने निम्नलिखित के लागू उपबंधों के अनुपालन की भी जांच की है :

(I) इंस्टीच्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और सामान्य बैठकों (एसएस-2) के संबंध में सचिवीय मानक।

(II) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्ध समझौते। (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

डी. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर उल्लेखित अधिनियम, नियमों, विनियमनों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधान का अनुपालन किया है :

(I) वर्ष के दौरान, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बहुमत में नहीं थी जैसाकि भुगतान बैंकों को लाईसेंस देने (''लाईसेंसिंग दिशानिर्देशों '') के लिए तथा कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित है और 29.09.2021 से कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है

(II) कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की लंबित नियुक्ति और बोर्ड तथा उसकी समितियों की अनुचित संरचना के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 178 की संबंधित आवश्यकताओं को इसके बोर्ड और इसकी समितियों के संबंध में 29.09.2021 से पूरी नहीं करता और इसके कारण समिति बैठकों के लिए कोरम, स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक जैसी अन्य संबद्ध आवश्यकताओं के साथ विचलन भी हुआ है।

(III) कंपनी ने बिना आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के 26 नवंबर, 2020 को एनपीसीआई के इक्विटी शेयरों में 77.01 लाख रुपये का निवेश भी किया है। तत्पश्चात, दिनांक 7 सितंबर, 2021 के पत्र के अनुसार, आरबीआई ने एनपीसीआई में किए गए निवेश को वापस लेने का निर्देश दिया। कंपनी ने शेयरों के हस्तांतरण के लिए बोर्ड की मंजूरी ले ली है और वह आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, एनपीसीआई के इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की प्रक्रिया में है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

(I) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में उपरोक्त पैरा डी में उल्लिखित को छोड़ कर कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

(II) बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन अग्रिम भेजे जाते थे, बहरहाल, कुछ मामलों में नोटिस और एजेंडा पेपर बोर्ड की सहमति से कम अवधि के नोटिस पर भेजे गए थे और बैठक से पहले तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए और एजेंडा मदों पर अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

(III) बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं जैसाकि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में रिकॉर्ड किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त जानकारी और रखरखाव किए गए रिकॉर्डों के आधार पर तथा विभिन्न अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं जिससे कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित कार्यक्रम हुए जिनका कंपनी के मामलों पर उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमनों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में प्रभाव पड़ा था :

ए) दिनांक 10.08.2021 को और फिर 07.03.2022 को बैंक की अधिकृत पूंजी को क्रमशः 1,255 करोड़ से बढ़ाकर 1,555 करोड़ रुपये तथा 1,555 करोड़ से बढ़ाकर 1,855 करोड़ रुपये करने के लिए एसोसिएशन के ज्ञापन को बदल दिया।

बी) लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने राइट इश्यू आधार पर डाक विभाग के सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को 10 रुपये प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

नोट :

ए) इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो ' अनुलग्नक ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

बी) कोविड-19 महामारी के बीच प्रतिबंधित आवाजाही के कारण, कार्यवृत्तों, दस्तावेजों, रजिस्टरों और अन्य रिकॉर्डों आदि सहित सचिवीय अभिलेखों की जांच करने के द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा की और उनमें से कुछ को कंपनी से इलेक्ट्रोनिक मोड द्वारा प्राप्त किया और मूल अभिलेखों से सत्यापित नहीं किया जा सका। प्रबंधन ने पुष्टि की है कि हमें प्रस्तुत रिकॉर्ड सही और दुरुस्त हैं।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव
एफआरएन : एस2014यूपी280200
समकक्ष समीक्षा संख्या : 1083/2021

पारुल जैन
प्रोपराइटर
एम.संख्या एफ8323

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 09.2022

अनुलग्नक -ए

सेवा में,
सदस्यगण
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. हमने लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सटीकता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम विश्वास करते हैं कि हमने जिस प्रक्रिया और प्रथाओं का अनुपालन किया है, वह हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

3. हमने समीक्षाधीन अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट/लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर भरोसा किया है, इसलिए हमने नमूना आधार पर सांविधिक/कानूनी अनुपालनों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन किया है। उनकी रिपोर्ट में उल्लेखित योग्यताएं/टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बन रही हैं।

4. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और बही खातों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

5. जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमनों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व किया है।

6. कॉरपोरेट तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा जांच आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

7. भारत में आम तौर पर स्वीकृत प्रथाओं के अनुसार किए गए कंपनी के बही-खातों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, हमें न तो कंपनी पर या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई उदाहरण मिला है, और न ही वर्ष के दौरान कंपनी ने नोटिस की है और कोई रिपोर्ट की है और तद्नुसार कंपनी ने हमें ऐसे किसी भी मामले के बारे में सूचित नहीं किया है।

कृते वीएपी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
एफआरएन : एस2014यूपी280200
समकक्ष समीक्षा संख्या : 1083/2021

पारुल जैन
प्रोपराइटर
एम.संख्या एफ8323
सीपी संख्या : 13901

स्थान : गाजियाबाद
दिनांक : 09.2022

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्रम संख्या	टिप्पणियां/चर्चाएं	प्रबंधन का उत्तर
01	वर्ष के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या अधिक नहीं थी जैसा कि भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने के लिए दिशानिर्देशों और कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में निर्धारित हैं और कंपनी के बोर्ड में 29-09-2021 से कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।	एसीसी ने अपने पत्र दिनांक 11-09-2022 द्वारा आईपीपीबी के बोर्ड में तीन वर्ष की अवधि के लिए 5 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए डाक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
02	कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की लंबित नियुक्ति और बोर्ड और उसकी समितियों की अनुचित संरचना के कारणए कंपनी अधिनियमए 2013 की धारा 177 और 178 की संबंधित आवश्यकताओं को 29-09-2021से लागू नहीं करता है। इसके बोर्ड और इसकी समितियों में स्वतंत्र निदेशकों ने भी अन्य संबद्ध आवश्यकताओं जैसे समिति की बैठकों के लिए गणपूर्तिए स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक आदि के साथ विचलन किया है।	एसीसी ने अपने पत्र दिनांक 11-09-2022 द्वारा आईपीपीबी के बोर्ड में तीन वर्ष की अवधि के लिए 5 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए डाक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नियुक्ति प्रक्रिया के बाद कंपनी के अधिनियम और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।
03	कंपनी ने 77.01 लाख रुपये का निवेश एनपीसीआई के इक्विटी शेयरों में 26 नवंबर 2020 को आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना किया है। तत्पश्चातए 7 सितंबरए 2021 के पत्र के अनुसारए आरबीआई ने एनपीसीआई में किए गए निवेश को वापस लेने का निर्देश दिया। कंपनी ने शेयरों के हस्तांतरण के लिए बोर्ड की मंजूरी ले ली है और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार एनपीसीआई के इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की प्रक्रिया में है।	फेडरल बैंक ने आईपीपीबी बोर्ड की मंजूरी के अधीन एनपीसीआई के शेयर खरीदने में रुचि दिखाई है। बिक्री के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक

India Post Payments Bank